₹25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

अगस्त 2018

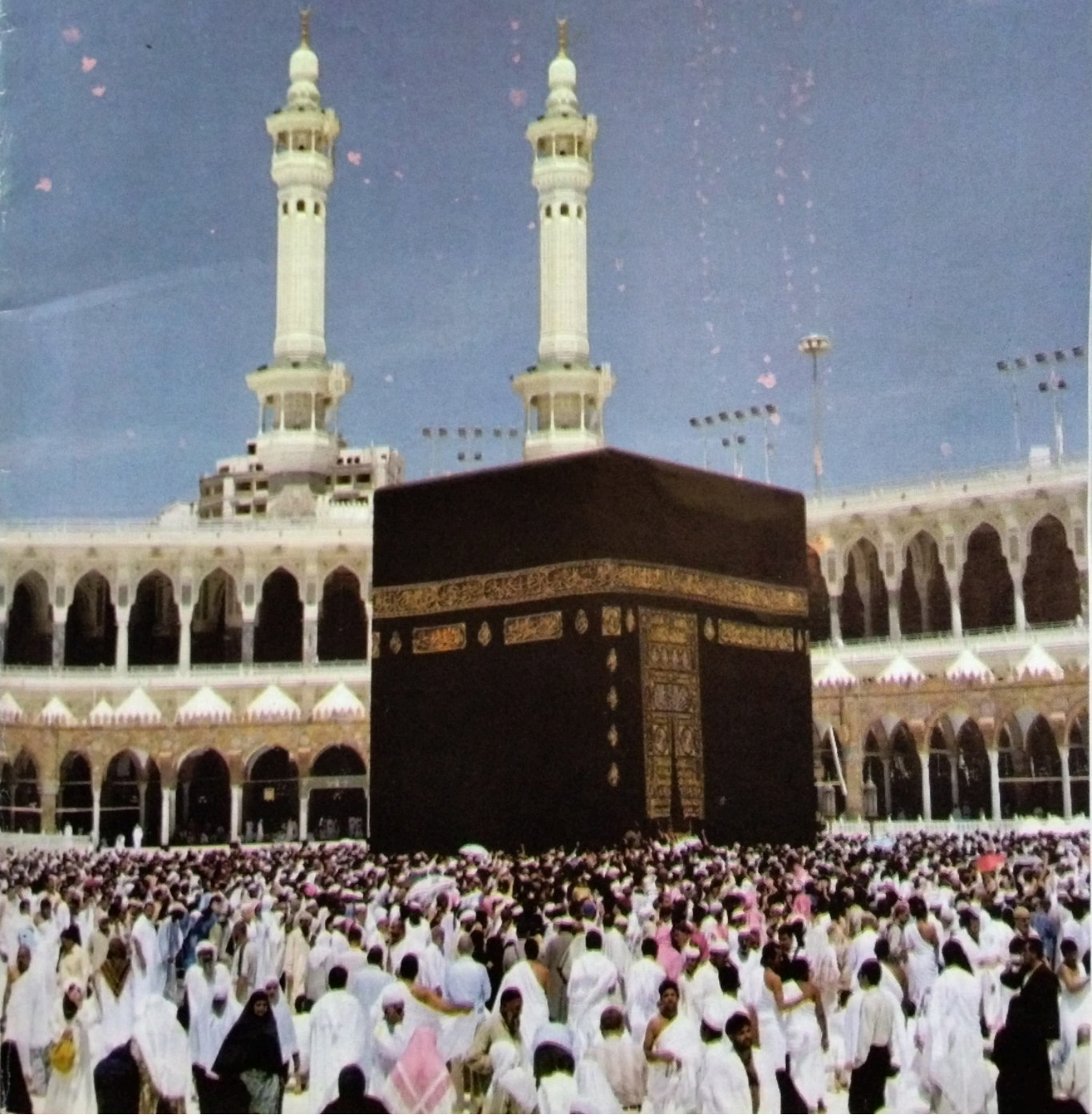



AAF



Res. (0832) 2732406
Mob.: 9422058677
9422439911
9225904060
9225903421

K. ABOOBAKER

Fish Merchants & Commission Agent

Wholesale Fish Market, Margao, Goa-403601

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 28 अंक 2 अगस्त 2018

और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप से घोषणा कर दो कि वे तुम्हारे पास हर दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार आएं, ताकि वे लाभ देखें जो यहां उनके लिए रखे गये हैं । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

नर हो, न निराश करो मन को

कुछ काम करो कुछ काम करो
जग में रहकर कुछ नाम करो
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो
कुछ तो उपयुक्त करो तन को
नर हो, न निराश करो मन को ।
संभलो कि सुयोग न जाय चला
कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला
समझो जग को न निरा सपना
पथ आप प्रशस्त करो अपना
अखिलेश्वर है अवलंबन को
नर हो, न निराश करो मन को ।
जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां
फिर जा सकता वह सत्य कहां
तुम स्वत्व सुधा रस पान करो
उठके अमरत्व विधान करो
देव रूप रहो भव अमन को
नर हो, न निराश करो मन को ।
निज गौरव का नित ज्ञान रहे
हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे
मरणोतर गुंजित गान रहे
सब जाय अभी पर मान रहे
कुछ हो न तजो निज साधन को
नर हो, न निराश करो मन को ।
प्रभु ने तुमको कर दान दिये
सब वांछित वस्तु विधान किये
तुम प्राप्त करो उनको न अहो
फिर है यह किसका दोष कहो
समझो न अलभ्य किसी धन को
नर हो, न निराश करो मन को ।
किस गौरव के तुम योग्य नहीं
कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं
जान लो तुम भी जगदीश्वर के
सब हैं जिसके अपने घर के
फिर दुर्लभ क्या उसके जन को
नर हो, न निराश करो मन को ।

● **मैथिली शरण गुप्त**



कहां क्या है ?

नर हो न निराश करो मन को	–मैथिली शरण गुप्त	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) और हज (संपादकीय)		7
विकास है कि मानता नहीं ? (आपके पत्र)		9
काला धन (कविता)	–देवेन्द्र कुमार मिश्रा	11
इस्लाम में इबादत का निहितार्थ (आस्था)	–मौलाना सद्रुद्दीन इस्लाही	13
नारे (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	14
भारत में मुसलमानों की मौजूदा हालत	–मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी	15
अनसुलझे प्रश्न (कविता)	–कुमार शर्मा 'अनिल'	17
हज़रत ख़नसा बिन्ते अम्र (रज़ि॰)	–तालिब हाशिमी	19
जूता और किताबें (कहानी)	–रेवेन्द्र कुमार मिश्र	21
हज : शर्तें और क़िस्में (विशेष आयोजन)	–हाफ़िज़ मुहम्मद अहद	26-27
मानवता का निर्माण और शिक्षा (विचार)	–उमैर कोटी नदवी	35
बेड़िया, न्याय, टिन का बोर्ड (लघुकथाएं)		39
कुछ औरों से अलग (कविता)	–ओम प्रकाश 'बजाज'	40
भारत में उच्च शिक्षा : मुद्दे, चुनौतियां एवं नवीन प्रवृत्तियां (कैरियर)	–अज़ीम ख़ान	43
आने वाली पीढ़ी पर पड़ता प्रदूषण का प्रभाव (पर्यावरण)		48
सच्ची मानवता (कविता)	–महेन्द्र सिंह शेखावत 'उत्साही'	48
इतनी बड़ी छिपकली (बालवीथी)		49

कुरआन ज्योति

(68) लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है।[66] सुब्हानल्लाह![67] वह तो निस्पृह है, आसमानों और धरती में जो कुछ है सब उसकी मिल्कियत है।[68] तुम्हारे पास इस बात के लिए आख़िर प्रमाण क्या हैं? क्या तुम अल्लाह के बारे में वे बातें कहते हो जो तुम्हारे ज्ञान में नहीं हैं? (69) ऐ नबी! कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, वे कदापि सफलता नहीं पा सकते। (70) दुनिया की कुछ दिनों की ज़िन्दगी में मज़े कर लें, फिर हमारी ओर उनको पलटना है, फिर हम इस कुफ़्र (इन्कार) के बदले, जिसे वे कर रहे हैं, उनको बड़े अज़ाब का मज़ा चखाएंगे।

–क़ुरआन, 10:68-70

66. ऊपर की आयतों में लोगों की उस अज्ञानता पर टोका गया था कि अपने धर्म की नींव ज्ञान के बजाय अटकल-गुमान पर रखते हैं और फिर किसी वैज्ञानिक ढंग से यह जांचने का भी यत्न नहीं करते कि हम जिस धर्म पर चले जा रहे हैं, उसका कोई प्रमाण भी है या नहीं। अब इसी सिलसिले में ईसाइयों और कुछ दूसरे धर्म वालों की इस नासमझी पर टोका गया है कि उन्होंने केवल अटकल से किसी को अल्लाह का बेटा ठहरा लिया।

67. 'सुब्हानल्लाह' का वाक्य आश्चर्य के रूप में और कभी विस्मय व्यक्त करने के लिए भी बोला जाता है। और कभी इससे तात्पर्य इसका वास्तविक अर्थ होता है, अर्थात यह कि 'अल्लाह हर ऐब से पाक है।' यहां यह वाक्य दोनों अर्थ दे रहा है। लोगों के इस कथन पर विस्मय व्यक्त करना भी अभीष्ट है और उनकी बात के जवाब में यह कहना भी अभिप्रेत है कि अल्लाह तो बे-ऐब (त्रुटिहीन) है, उसके प्रति आत्मजीय संबंध व्यक्त करना किस तरह सही हो सकता है।

68. यहां उनके इस कथन के खंडन में तीन बातें कही गयी हैं–

एक, यह कि अल्लाह बे-ऐब है,

दूसरे, यह कि वह निस्पृह है,

तीसरे, यह कि आसमान और ज़मीन की तमाम मौजूद चीज़ें उसकी मिल्कियत हैं। यह संक्षिप्त उत्तर थोड़ी-सी व्याख्या के साथ आसानी से समझ में आ सकता है :

स्पष्ट है कि बेटा या तो सगा हो सकता है, या गोद लिया हुआ। अगर ये लोग किसी को अल्लाह का सगा बेटा ठहराते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अल्लाह को उस प्राणी जैसा समझते हैं जो व्यक्तिगत रूप में नश्वर होता है और जिसके अस्तित्व को बाक़ी रखना इसके बिना नहीं हो सकता कि उसकी कोई जाति हो और उस जाति से कोई उसका जोड़ा हो और इन दोनों के मेल से उसकी कोई संतान

(शेष पृष्ठ 10 पर)



हज

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा : "ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज अनिवार्य कर दिया है । अत: हज करो ।" इस पर एक व्यक्ति ने कहा : क्या प्रत्येक वर्ष ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ? आप चुप रहे यहां तक कि उस व्यक्ति ने तीन बार पूछा । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "यदि मैं हां कह देता, तो (हर साल) अनिवार्य हो जाता और तुम्हें इसकी सामर्थ्य प्राप्त नहीं ।" फिर आपने कहा : "मैं तुम्हें छोड़े रखूं (अर्थात किसी मामले में तुम्हें विस्तृत आदेश न दूं) तो तुम भी मुझे छोड़ दो । प्रश्न कर-करके गुंजाइशों को समाप्त न करो । क्योंकि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं, वे अपने अधिक प्रश्न करने और अपने नबियों से विभेद करने के कारण ही विनष्ट हुए । तो जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूं तो यथासामर्थ्य तुम उस पर अमल करो और जब मैं किसी चीज़ से तुम्हें रोकूं, तो उसे छोड़ दो ।"

–मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) से पूछा गया : कौन-सा कार्य सर्वोत्तम है ? आपने कहा : "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना ।" कहा गया : फिर कौन-सा ? आपने कहा : "अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना ।" कहा गया : फिर कौन-सा ? आपने कहा : "वह हज जिसमें हज करने वाला कोई गुनाह न करे ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "जिस व्यक्ति ने हज किया तो न कोई अश्लीलता दिखायी और न (अल्लाह की) अवज्ञा की, तो वह इस दशा में लौटेगा कि मानो अभी उसकी मां ने उसे जन्म दिया हो ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "एक उमरह (सामान्य दिनों में काबा की ज़ियारत और उससे संबंधित कुछ विशिष्ट कर्म) दूसरे उमरह तक के बीच के गुनाहों को मिटा देता है और गुनाहों से पाक रहकर किये हुए हज का बदला जन्नत के अतिरिक्त और कुछ नहीं । –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), हम जिहाद को उत्तम कर्म समझती हैं, तो क्या हम जिहाद न करें ? आपने कहा : "उत्तम जिहाद तो तुम्हारे लिए वह हज है जो गुनाहों से बचते हुए किया जाए ।" –बुख़ारी

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह अरफ़ह (हज का दिन) के दिन की अपेक्षा अधिक बन्दों को आग (दोज़ख़) से मुक्त करता हो ।" –मुस्लिम

● हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "रमज़ान में उमरह करना हज के बराबर है ।" या कहा : "मेरे साथ हज करने के बराबर है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) रौहा के स्थान पर कुछ सवारों से मिलें । आपने पूछा : "तुम कौन लोग हो ?" उन्होंने कहा : मुसलमान । फिर उन्होंने कहा : आप कौन हैं ? आपने कहा : "अल्लाह का रसूल ।" इस पर एक स्त्री ने एक बच्चे को उठाकर आपकी तरफ़ बढ़ाया और कहा : क्या इस बच्चे का भी हज है ? आपने कहा : "हां, और तेरे लिए सवाब है ।"

–मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

हज़रत इबराहीम (अलैहि०) और हज

नबियों के इतिहास में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) को एक असाधारण महत्व प्राप्त है । आपके जीवन-चरित्र का उल्लेख दुनिया की सभी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकों में संक्षेप अथवा विस्तार के साथ उपलब्ध है । आपके आचरण को क़ुरआन मजीद में एक आदर्श आचरण की हैसियत से पेश किया गया है । इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वे कौन से बुनियादी काम हैं, जिनके कारण इबराहीम (अलैहि०) के जीवन को आदर्श जीवन के नाम से पेश किया है और उन्हें रहती दुनिया तक के इन्सानों के रहनुमा और पथ-प्रदर्शक की हैसियत से चुना है । इबराहीम (अलैहि०) की पूरी जीवनी पर विचार करने से आपके पांच महत्वपुर्ण कारनामे सामने आते हैं । इनमें एकेश्वरवाद (तौहीद) का आह्वान है, जिसकी सभी दृष्टियों से बड़ी महत्ता है । आपने शिर्क व बहुदेववाद के घटाटोप अंधेरे में एकेश्वरवाद की मशाल रोशन की । आपने कहा, "मैंने तो एकाग्र होकर अपना रुख़ उस हस्ती की ओर कर लिया जिसने धरती और आकाशों को पैदा किया है और मैं कदापि शिर्क करनेवालों में से नहीं हूं ।" हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने व्यावहारिक रूप में शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठायी । निस्सार व निर्जीव मूर्तियों को तोड़ा । असत्य के पुजारी आपके ख़िलाफ़ इस हद तक जा पहुंचे कि ज़ालिमों ने उनको आग की दहकती हुई लपटों के हवाले कर दिया । एकेश्वरवाद के इस महान ध्वजावाहक ने आग में जाना सहन कर लिया, लेकिन शिर्क की बात नहीं मानी । अल्लाह ने आग को ठंडी होने का हुक्म दिया और इबराहीम (अलैहि०) आग से सुरक्षित रहे ।

दूसरी बड़ी परीक्षा जिससे इबराहीम (अलैहि०) को दो-चार होना पड़ा, वह अल्लाह के मार्ग में घर-बार छोड़ना था । आपके जीवन का तीसरा बड़ा कारनामा है कि आपने अल्लाह के हुक्म से अपनी पत्नी और बुढ़ापे में अपने इकलौते बेटे को एक ऐसे भू-भाग में रखा, जहां न तो बज़ाहिर इन्सान थे और न उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान था । अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे इसमाईल (अलैहि०) को कुछ खजूरों और पानी के साथ छोड़ दिया । क्या कोई इन्सान यह सोच सकता है कि अपनी पत्नी व अपने बच्चे को एक वीराने में छोड़ दे, लेकिन इबराहीम (अलैहि०) ने इस आदेश का पालन किया । उनका यह पक्का यक़ीन था कि अल्लाह उनकी सहायता करेगा । हुआ भी यही । अल्लाह ने अपनी रहमत से उस निरुद्भिज घाटी में एक जल-स्रोत जारी कर दिया, जिसे हम ज़मज़म के नाम से याद करते हैं । इसके बाद कुछ ही अवधि व्यतीत हुई थी कि अल्लाह की अनुकंपा से वहां इन्सान भी आये । एक क़बीला जिसका नाम बून जरहम था, वहां आकर आबाद हो गया और हज़रत हाजरा से अनुमति लेकर रहने लगा । यह शहर मक्का एकेश्वरवाद और पथ-प्रदर्शन का केन्द्र है । यहां वर्ष में एक बार बड़े पैमाने पर मुसलमानों का एक विशाल इज्तिमाअ होता है, जिसे हज कहते हैं ।

हज़रत इबराहीम (अलैहि०) के जीवन का एक और बड़ा कारनामा है कि आपने अल्लाह के घर (काबा) का निर्माण किया और इस घर को आबाद किया । जब काबा का निर्माण हो गया, तो हज का एलान किया गया ।

क़ुरआन में है, "याद करो जब हमने इबराहीम के लिए इस घर (काबा) की जगह ठहरायी । (यह कहते हुए) कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और मेरे घर को तवाफ़ करनेवालों, (इबादत में) खड़े होनेवालों, झुकने और सजदा करनेवालों के लिए पाक-साफ़ रखो । और लोगों में हज के लिए पुकार दो कि वे प्रत्येक गहरे मार्गों से, पैदल और दुबली ऊंटनियों पर तेरे पास आएं (22:26,27) ।" उस समय से लेकर आज तक यह घर दुनिया के सारे इन्सानों का केन्द्र है और इसमें एक ऐसी आकर्षण-शक्ति विद्यमान है कि दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र से लोग वहां खिंच-खिंच कर जाते हैं, अपने वास्तविक प्रभु का ज़िक्र करते हैं, उसी को अपनी ज़रूरतें पूरी करनेवाला, संकट दूर करनेवाला और फ़रियादें पूरी करनेवाला समझते हैं । हज़रत इबराहीम (अलैहि०) का एक बड़ा कारनामा अपने प्रिय बेटे की क़ुरबानी का था । अल्लाह ने उनकी क़ुरबानी क़ुबूल की और इसमाईल (अलैहि०) के बजाय एक दुंबे की गरदन तन से जुदा हो गयी । इबराहीम (अलैहि०) अपने फ़र्ज़ की अदायगी में सफल हुए और रहती दुनिया तक इन्सानों को यह शिक्षा दी कि अल्लाह की इच्छा के अनुपालन में हर चीज़-अपना माल, अपनी संतान और अपनी जान की क़ुरबानी दी जा सकती है । आज हज के अवसर पर प्रत्येक हज-यात्री जानवर की क़ुरबानी देकर मिना के मैदान में इस हक़ीक़त को दोहराता है । जानवर की यह क़ुरबानी इस बात का एलान है कि हर चीज़ अल्लाह की है और उसके मार्ग में क़ुरबानी करने के लिए है ।

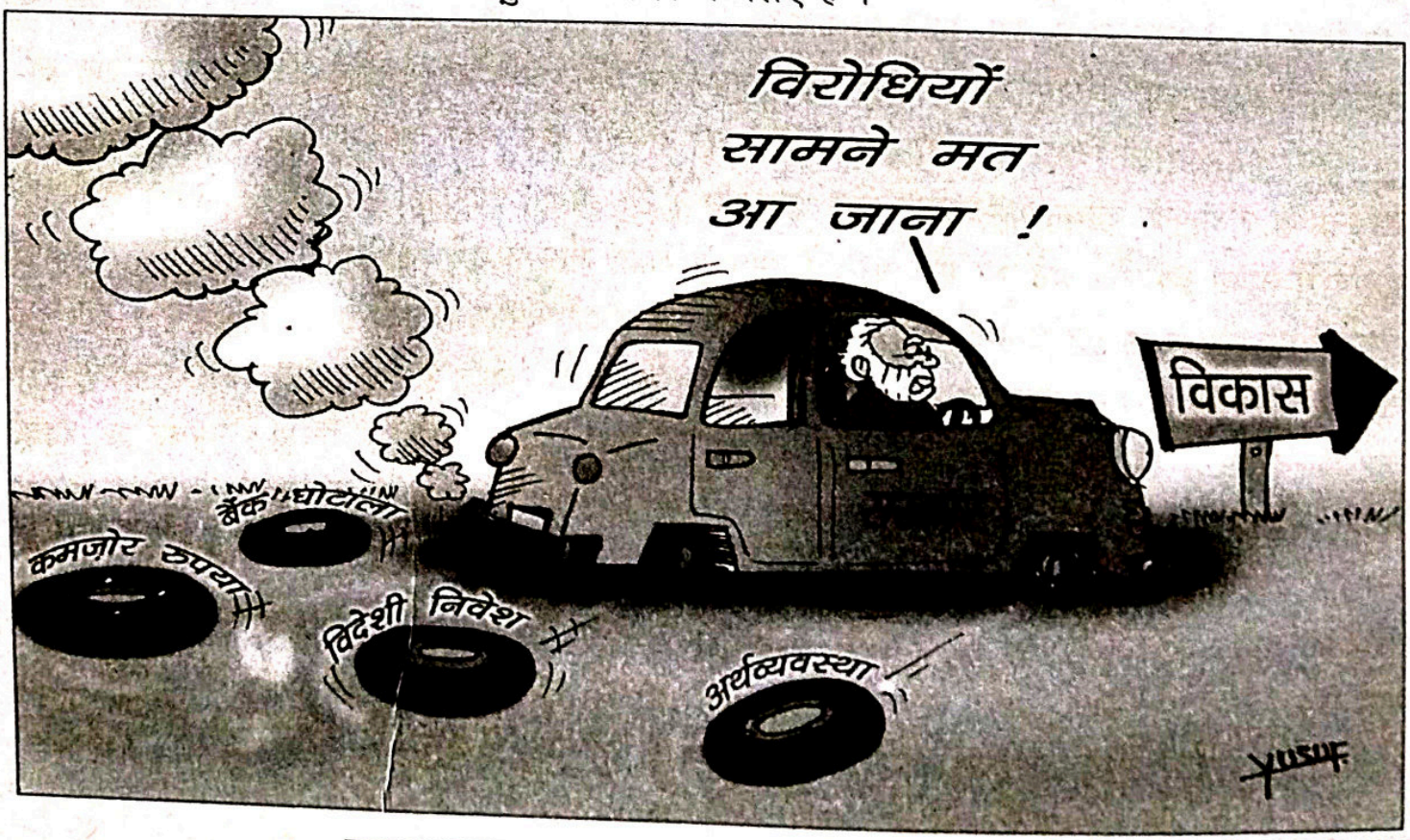

विकास है कि मानता नहीं ?

पन्द्रह अगस्त 1947 को पैदा हुआ ''विकास'' इकत्तहर वर्ष की आयु में अब आकर युवा हुआ बताया जाता है लेकिन इसके जन्म से लेकर युवा होने तक के अंतराल में इसके अस्ली माता-पिता अभिभावक संरक्षक होने के दावों में मतभेद है । हालांकि अब तो महापुरुष शब्द ही विचाराधीन क़ैदी जैसा हो गया है, क्योंकि किसी स्थान पर तो महापुरुष पूज्य है तो कहीं बेचारा गाली भी खाता है । पहले पढ़ाया जाता था कि अमुक व्यक्ति इस विद्यालय में पढ़ा-लिखा और अमुक विश्वविद्यालय या अमुक विदेशी शिक्षा संस्थान से ग्रेजुएट पोस्टग्रेजुएट डिग्री लेकर आया लेकिन अब सूचना अधिकार या कोर्ट के माध्यम से पूछना पड़ता है कि कौन कहां से कहां तक पढ़ा-लिखा क्योंकि विकास है कि मानता नहीं ?

शिक्षा भारतीय संस्कृति का मूल सनातन अध्याय रहा है और कहा जाता है कि राम चन्द्र जी और कृष्ण जी भी गुरुकुल में पढ़े और अध्यापकों का सदा से विशेष महत्व रहा है लेकिन अब विडंबना देखिए कि भारत जैसे विकासशील देश में शारीरिक इलाज करने वाले झोलाछाप डाक्टरों पर प्रतिबंध है लेकिन देश के सामाजिक आर्थिक रोगों का उपचार झोलाछाप नेताओं को समर्पित है । पूरा विश्व ह्यूमनिटीज कला विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षाविदों को खोज रहा है लेकिन भारत में अयोग्य अपात्रों को सत्ता हस्तांतरण संविधान का सम्मान बताया जाता है । चपरासी पद तक के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य है लेकिन माननीयों के चयन के लिए नहीं क्योंकि विकास का अस्ली पैमाना यही है कि सर्वोच्च शिक्षाधारी अनपढ़ों अयोग्यों अपात्रों से विकास की आशा और अपेक्षा करे !!

राष्ट्रीय पहचान बनती कंजड़ी भाषा

देवनागरी लिपि भारतीय संस्कृति का परिचायक रही । शासक बदलने के साथ ही संस्कृत हिंदी के बाद उर्दू भाषा को भारतीय संस्कृति ने अपनाया और आज़ादी के बाद कई महीनों बाद तक बहुत से सरकारी दस्तावेज़ उर्दू में सुरक्षित रहे । महात्मा गांधी की हत्या की एफ०आई०आर० भी उर्दू में लिखी गयी थी ।

असभ्य अमर्यादित अभद्र भाषा संवाद को लोग अक्सर कंजड़ी भाषा बोलते थे और इस तरह की भाषा बोलने वालों से दूरी बनाकर ही रहते थे, लेकिन अब यह कंजड़ी भाषा राष्ट्रीय भाषा की पहचान बनती जा रही है और इसके पीछे कारण भी है कि जब प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति ही सार्वजनिक मंच से कंजड़ी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तो उनके अनुयायी ही भला पीछे कहां रहने वाले ? एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत, बलात्कार जैसे जघन्य अक्षम्य अपराधों के विरोध में अपने लड़कों पर नज़र रखने की नसीहत ।

लेकिन दूसरी ओर एक महिला सांसद ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री को अपमानित करने वाली टिप्पणियों पर रहस्मयी ख़ामोशी ! एक सांसद को बहुत-बहुत साधुवाद कि उन्होंने खुलकर तो कहा कि कम से कम उनके पूर्वज तो

25 yrs. Service (Regd.)
AL KAUSAR HOLY HERBAL
HOSPITAL & RESERCH CENTRE
(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)
Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**
Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)
Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India
Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)
Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days
(Rooms available)
Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

बंदर नहीं थे ? जनता दरबार में सी०एम० और महिला अध्यापिका के बीच सार्वजनिक हुए संवाद ने जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया । जनप्रतिनिधि का समर्थन करना अलग बात है लेकिन उसके कंजड़ी भाषा संवाद को सराहना राष्ट्रवाद नहीं । नेता तो आते-जाते रहेंगे लेकिन भारत की गरिमा महिमा अस्मिता की रक्षा करना सबका दायित्व कर्तव्य है ।

''आप'' जीते और ''मैं'' हारा

चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दिया निर्णय आगामी राजनीति की दिशा और देश की दशा एवं नियति तय करने में सहायक सिद्ध होगा । सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के जिन अनुच्छेदों की बखूबी व्याख्या की है वह वाक़ई सराहनीय है क्योंकि उन्हीं अनुच्छेदों पर संविधान विशेषज्ञों और हाईकोर्ट की राय भिन्न थी । संभव है कि ''मैं'' की राजनीति पर थोड़ा विश्राम लगेगा और हर समय मैं मैं का राग अलापते लोग आप (जनता) की भी बात सोचने मानने जानने को विवश होंगे ।

लोकतंत्र के अखाड़े में बुद्धिजीवी वर्ग का शोषण एक सामान्य-सी बात है और ''मैं'' संविधान से भी ऊपर होकर शासक की भूमिका में कार्य कर रहा है, जबकि लोकतंत्र में शासक का कोई स्थान नहीं और हर समय ''मैं'' अपनी इच्छा को ही संविधान का सम्मान कहकर शासन नहीं कर सकता ।

अगर संविधान किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अनपढ़ अयोग्य अपात्र लोगों के हाथ में सत्ता सौंपकर देश का बंटाधार करने की अनुमति दे दी जाय । ''मैं'' का अस्तित्व ही ''आप'' से है और जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक मैं शासक की भूमिका में रहूंगा और आप गुलाम की भूमिका में ।

आप का दिया टैक्स ही ''मैं'' का आजीवन भरण पोषण वहन करता है लेकिन ''आप'' चोर और ''मैं'' ईमानदार, ''आप'' पैदल और ''मैं'' हवाई जहाज़ में, आप ''पीएचडी'' और ''मैं'' हाईस्कूल और आप दानदाता (मत) होकर भी भिखारी और मैं दान (मत) लेकर भी दाता की भूमिका में, यह भी विसंगति शायद शीघ्र दूर होगी ।

रचना रस्तोगी
मेरठ

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

हो जिसके द्वारा उसका जातीय अस्तित्व और उसका कार्य बाक़ी रहे, और अगर ये लोग इस अर्थ में अल्लाह का बेटा ठहराते हैं कि उसने किसी को बेटा बना लिया है, तो यह दो स्थिति से रिक्त नहीं । या तो उन्होंने ख़ुदा को उस इन्सान जैसा सोच लिया है जो नि:संतान होने के कारण अपनी जाति के किसी व्यक्ति को इसलिए बेटा बनाता है कि वह उसका वारिस हो और उस हानि की, जो उसे नि:संतान रह जाने की वजह से पहुंच रहा है, नाम के लिए ही सही, कुछ तो पूर्ति कर दे । या फिर उनका विचार यह है कि अल्लाह भी इन्सान की तरह भावनात्मक प्रवृति रखता है और अपने अनगिनत बन्दों में से किसी एक के साथ उसको कुछ ऐसा प्रेम हो गया है कि उसने उसे बेटा बना लिया है । इन तीनों शक्लों में से जो शक्ल भी हो, बहरहाल इस विश्वास की मौलिक धारणाओं में अल्लाह पर बहुत से ऐबों, बहुत-सी कमज़ोरियों, बहुत-सी कमियों और बहुत-सी ज़रूरतों की तोहमत लगी हुई है । इसी कारण पहले वाक्य में कहा गया कि अल्लाह उन तमाम ऐबों, कमियों और कमज़ोरियों से पाक है जो तुम उनसे जोड़ रहे हो । दूसरे वाक्य में कहा गया कि वह उन ज़रूरतों से भी निरपेक्ष है जिनके कारण नश्वर इन्सानों को संतान की या बेटा बनाने की ज़रूरत पेश आती है और तीसरे वाक्य में साफ़ कह दिया गया कि ज़मीन व आसमान में सब अल्लाह के बन्दे और उसकी मिल्कियत हैं, उनमें किसी के साथ भी अल्लाह का ऐसा कोई विशेष निजी ताल्लुक़ नहीं है कि सबको छोड़कर उसे वह अपना बेटा या इकलौता या उत्तराधिकारी घोषित कर दे । गुणों के आधार पर बेशक अल्लाह कुछ लोगों को दूसरों के मुक़ाबले में अधिक प्रिय रखता है, मगर उस प्रेम का यह अर्थ नहीं है कि किसी बन्दे को बन्दगी की जगह से उठाकर ख़ुदाई में शरीक होने का पद दे दिया जाए । अधिक से अधिक इस प्रेम का तक़ाज़ा बस वह है जो इससे पहले की एक आयत में बयान कर दिया गया है कि ''जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़्वा का रवैया अपनाया उनके लिए किसी डर और रंज का अवसर नहीं, दुनिया और आख़िरत दोनों में उनके लिए शुभ-सूचना ही शुभ-सूचना है ।''

काला धन

भाइयो और बहनो
आप लोगों की ऐसी की तैसी
जाओ और बैंकों
में खड़े हो जाओ
लाइन लगाकर
सब जमा करो
लेकिन निकालो उतना
कहें हम जितना
ए॰टी॰एम॰ बन्द हैं
जो चालू हैं
उनमें निकलना भी रुपये चन्द हैं
मज़दूरो, भाड़ में जाओ
किसानो, मर जाओ
शादी करने वालो
मातम मनाओ
बहनो और माताओ
तुमने जो बचा-बचाकर
जोड़ा है
वो तुम्हारी बचत नहीं
काला धन है
जमा करो
लाइन में आ जाओ
बहुत शौक़ है गहनों का
अब जितना बताया
उससे ज़्यादा जोड़ा
तो छापा पड़ेगा
जांच होगी
इन्कम टैक्स का नाम
तो सुना होगा
आओ सारे काम छोड़ो
और लाइनों में लग जाओ
मरते हो तो मर जाओ
ज़िन्दगी और मौत
लाइनों में है
बैंक की लाइन
पोस्ट ऑफ़िस की लाइन
भाइयो एवं बहनो
जब हम मन की बात करें
तो समझ लेना किसी न किसी
पर मुसीबत आने वाली है
पहले हमने पाकिस्तान
पर सर्जिकल स्ट्राइक की
फिर आप पर आर्थिक स्ट्राइक ।
भाइयो एवं बहनो
काला धन लाना था
विदेश से नहीं ला पाये
तो देश से ही निकाल लाएं
लेकर तो आए
वादा तो पूरा किया
भाइयो और बहनो
ये मन की नहीं
अन्दर की बात थी
जो कर दी
अगली बार फिर
मन की बात कहेंगे
लेकिन करेंगे वही
अन्दर वाली बात
आप लोग मेरे साथ हैं न
जय हिन्द ! जय भारत !

देवेन्द्र कुमार मिश्रा
पाटनी कालोनी, भरत नगर, चन्दनगांव
छिन्दवाड़ा (म॰प्र॰)

''ऐ नबी, तुमको हमने
बस एक ख़ुशख़बरी देने वाला
और सचेत करने वाला बनाकर भेजा
है । इनसे कह दो कि ''मैं इस काम
पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा
बदला बस यही है कि जिसका जी
चाहे वह अपने रब का मार्ग
अपना ले ।''
(क़ुरआन, 25:56)

A Well Wisher

KOLKATA

इस्लाम में इबादत का निहितार्थ

■ मौलाना सद्रुद्दीन इस्लाही

इस्लाम एक-एक करके सारी ही समस्याओं से बहस करता है और इबादतगाह से लेकर सामूहिक जीवन के आख़िरी सिरे तक हर मामले के बारे में हिदायतें देता है । इन सभी हिदायतों के संग्रह का नाम 'दीन' (इस्लाम) है और इसका हर हिस्सा समान तौर पर दीन का अंश है ।

इबादत का अर्थ इस्लाम की निगाह में पूजा और उपासना से बहुत विकसित है । ख़ुदा की पूजा और उसकी याद निश्चय ही इबादत की जान है, मगर पूरी इबादत नहीं है । पूरी इबादत यह है कि अल्लाह के भेजे हुए दीन की संपूर्ण पैरवी की जाए ।

किसी भेदभाव और विभाजन के बिना की जाए और पूरी निष्ठा और सच्ची भावना तथा सच्चे आज्ञापालन के साथ की जाए, जैसा कि अभी मालूम हुआ कि अल्लाह का भेजा हुआ यह दीन एक संपूर्ण हिदायत नामा है और समस्त मानवजाति के लिए है । इसलिए अल्लाह की इबादत का हक़ अदा नहीं किया जा सकता जब तक कि इस हिदायत नामे और इस संग्रह के एक-एक अक्षर को दांतों से न पकड़ा जाए और पूरी ज़िन्दगी इस हिदायत के हवाले न कर दी जाए ।

जब ख़ुदा, दीन और इबादत की सही धारणाएं कुरआन व इस्लाम के निकट ये थीं तो यह किस तरह संभव था कि इन्सान के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखने वाले मामलों से इन्हें कोई बहस ही न होती ? या यदि बहस होती भी तो वे न दीन का अंश क़रार पातीं, न इबादत और ख़ुदापरस्ती के खाने में गिनी जाती ।

पारिवारिक और सामाजिक मामले भी इसी इन्सानी जीवन का एक हिस्सा थे, बल्कि अत्यंत और हरहाल में ज़रूरी हिस्से थे । फिर इनको ख़ुदा का दीन किस तरह नज़रअंदाज़ कर देता ? इनके बारे में हिदायतें न देता ? सत्य, न्याय और सच्चाई के तक़ाज़े न बताता ? या जो आदेश इनके सिलसिले में उसने दिये हैं, उनका कोई धार्मिक महत्व न होता ? उनकी पाबन्दी क़रार न दी जाती ? मोमिन

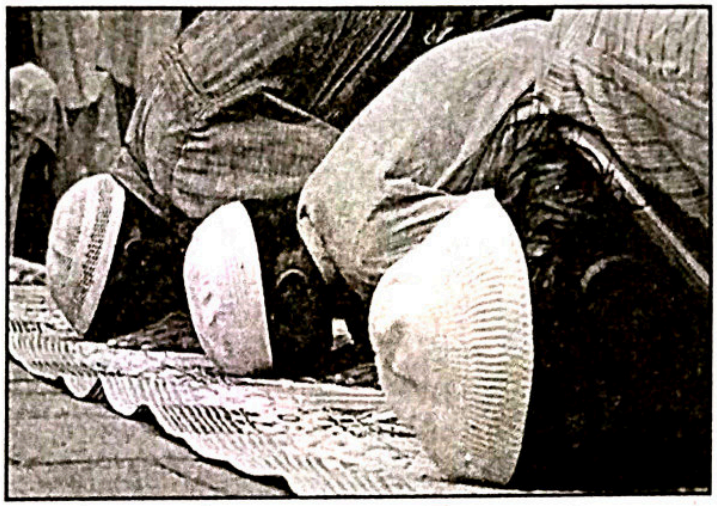

व मुस्लिम होने पर उनकी पैरवी करने या न करने का कोई असर न पड़ता ?

निस्संदेह जिन लोगों की धारणा ख़ुदा, दीन और इबादत के बारे में कुछ और है और निस्संदेह अधिकांश लोग ऐसे ही हैं–उनके लिए इस्लाम के व्यक्तिगत क़ानूनों की धार्मिक हैसियत को समझ पाना और उसे उचित ठहराना बड़ा मुश्किल है, मगर यहां बात उचित और अनुचित की बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि अस्ल बात हक़ीक़त की हो रही है और हक़ीक़त यही है जिसका इन्कार किसी तरह नहीं किया जा सकता कि ये क़ानून दीनी हैसियत के मालिक और दीन का अंश है और ऐसा होना कुरआनी शिक्षाओं के अनुसार दीन की धारणा व ख़ुदा की धारणा के तहत बहरहाल ज़रूरी था ।

मुसलमानों के व्यक्तिगत क़ानून उनके सामुदायिक व्यक्तित्व के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि किसी जीवित शरीर के लिए उसके पट्ठे ज़रूरी होते हैं । इसकी वजह या उसके दावे की सच्चाई मालूम करने के लिए समुदायों और सांस्कृतिक गिरोहों की रचना पर ग़ौर कीजिए और यह देखिए कि-वे किस तरह बना करते हैं ? वे कौन से विशेष तत्व होते हैं जो किसी जनसमूह को दूसरे तमाम जनों और गिरोहों से अलग एक अनोखा व्यक्तित्व रखने वाले गिरोह और एक मुस्तक़िल समुदाय की हैसियत दे देते हैं ।

इस सोच-विचार के नतीजे में आप देखेंगे कि इस मामले में यद्यपि प्रथम महत्व बुनियादी अक़ीदों व धारणाओं ही को हासिल होता है और वही इस समुदाय की अनुपमताका वास्तविक स्रोत हुआ करते हैं, लेकिन साथ ही उन आदेशों व क़ानूनों और उनको बजा लाने की अहमियत भी इस मामले में कुछ कम नहीं होती जिनके तहत इस मिल्लत (समुदाय) के जनों की पूरी ज़िन्दगी बसर हुआ करती है । यह इसलिए की अक़ीदे व विचार आंखों से दिखायी देने वाली वस्तु नहीं होते कि वे किसी समुदाय के व्यक्तित्व का सूचक और उसकी अनुपमता की निशानी बन सकें । व्यावहारिक तौर पर सामुदायिक पहचान और अनुपमता की निशानी तो उसके वे ज़ाहिरी तौर-तरीक़े और क़ानून व उसूल ही बना करते और बन सकते हैं जिन्हें वह अपने बुनियादी अक़ीदों व धारणाओं के तहत अपनाए हुए होती है और जिनके अनुसार उसकी ज़िन्दगी का पूरा कारोबार चल रहा होता है ।

फिर चूंकि इन क़ानून व उसूलों के भी विभिन्न विभाग क़ौम की अमली ज़रूरत और उसकी आम ज़िन्दगी से व्यावहारिक संपर्क के लिहाज़ से समान नहीं होते, इसलिए उसके व्यक्तित्व की रचना में भी उनका अमल-दख़ल बराबर का नहीं हो सकता ।

जिन क़ानूनों का संपर्क क़ौम के लोगों के जीवन से जितना ही अधिक होगा, उनका अमल-दख़ल भी उसकी ज़ात की रचना में उतना ही बड़ा होगा । अब हर व्यक्ति जानता है कि इस पहलू से व्यक्तिगत क़ानून एक विशेष स्थान रखते हैं । रज़ाअत, हज़ानत, किफ़ालत, निकाह, महर, नफ़क़ा, दाम्पत्य अधिकार और कर्तव्य, तलाक़, ख़ुलअ, फ़स्ख़ निकाह, विरासत और वसीयत आदि ऐसी समस्याएं और मामले हैं जिनका व्यावहारिक संबंध सभी लोगों से होता है और लगभग हर व्यक्ति का जीवन इनसे घिरा होता है जबकि जीवन की दूसरी समस्याओं का व्यावहारिक संपर्क इसके मुक़ाबले में सीमित लोगों के जीवन से होता है या सीमित पैमाने ही पर होता है । इसलिए क़ुदरती बात है जीवन के मामलों को व्यवस्थित करने वाले क़ानूनों को सामूदायिक अहमियत भी बहुत अधिक और विशेष रूप से बेहतर होगी और समुदाय की अनुपमता और मुख्य व्यक्तित्व का आधार जितना इन पर होगा, दूसरे क़ानूनों पर कदापि न होगा ।

नारे

बच्चे हों या बूढ़े
महिलाएं हों या पुरुष
कभी न कभी कहीं न कहीं
नारे हम सब लगाते हैं ।

अपनी-अपनी परेशानियों को लेकर
अपनी-अपनी मांगों को लेकर
मज़दूर, किसान, कर्मचारी ही नहीं
नेता नौकरशाह विद्यार्थी और शिक्षक भी ।

गणतंत्र में नारा लगाने का
सबको अधिकार है, आज़ादी है
कहावत है कि बिना रोए मां भी
दूध नहीं पिलाती है ।
नारे लगाने से मांग पूरी हो न हो
अन्दर की भड़ास तो निकल ही जाती है ।

समय आ गया है कि हम
पुराने घिसे-पिटे नारों के साथ-साथ
कुछ आधुनिक नारे भी प्रयोग में लाएं
समकालीन परिस्थितियों आवश्यकताओं को
नये नारों की विषय-वस्तु बनाएं

जैसे : बिजली बचाओ पानी बचाओ
बेटे का मोह त्यागो बेटी बचाओ
वृक्ष लगाओ सबको साक्षर बनाओ
रूढ़ियां छोड़ो नयी सोच अपनाओ

न केवल हम यह नारे लगाएं
वरन इन पर अमल भी करें
तथा दूसरों को इस हेतु
प्रेरित एवं प्रशिक्षित भी करें

यही मांग है इस युग की
अपेक्षा है सबके सहयोग की
समर्थन की ।

ओम प्रकाश बजाज
जबलपुर, म०प्र०

विचारार्थ

भारत में मुसलमानों की मौजूदा हालत

तुर्की के शहर इस्तंबूल में पिछले दिनों मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हालात और समस्याओं पर ग़ौरोफ़िक्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें एशिया, अफ़्रीक़ा, यूरोप और अमेरिका के 125 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इनमें छोटी आबादियों का भी प्रतिनिधित्व था और बड़ी आबादियों का भी। जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष भी इस सम्मलेन में सम्मिलित हुए। जनाब अब्दुल्लाह मिन्हाम (केरल) भी इस सम्मलेन में सम्मिलित हुए। भारत में मुसलमान पारिभाषिक अर्थों में अल्पसंख्या में हैं, लेकिन अपनी आबादी और इतिहास के लिहाज़ से ये दुनिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक कहे जा सकते हैं। भारतीय मुसलमानों के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यह लेख इस सम्मेलन में पेश किया गया था।

■ मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी
(अध्यक्ष, जमाअत इस्लामी हिन्द)

भारत एक विशाल देश है। इसकी आबादी इस वक़्त एक सौ तीस करोड़ से ऊपर पार कर चुकी है। इसमें दुनिया के बड़े-बड़े धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं। यहां पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हिन्दी और अंग्रेज़ी को सरकारी भाषा की हैसियत प्राप्त है। यहां सभ्यता-संस्कृति और रहन-सहन में ग्रोथ पाया जाता है। यहां मुसलमानों की आबादी बीस करोड़ के लगभग है। वे पूरे देश में फैले हुए हैं। इनका अनुपात कहीं कम और कहीं ज़्यादा है। पूरे देश में इनके छोटे-बड़े इस्लामी शिक्षा केंद्र हैं, जहां दीन (धर्म) की शिक्षा दी जाती है। इनमें दारुलउलूम देवबंद और नदवतुलउलमा लखनऊ को वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त है।

इनके अलावा सैकड़ों बड़े और हज़ारों छोटे मदरसे पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां दीनी शिक्षा की उचित प्रबंध-व्यवस्था है। मुसलमानों के अन्य शिक्षण संस्थान भी हैं, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली प्रसिद्ध हैं। इसी तरह सैकड़ों कॉलेज हैं, जिनमें हुकूमत के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इन्हें हुकूमत की सनद और कभी-कभी आर्थिक सहायता भी मिलती है।

देश की विशालता और मुसलमानों की आबादी के लिहाज़ से ये शिक्षण संस्थान बहुत ही कम हैं। इसी कारण मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में देश की दूसरी क़ौमों से पीछे हैं। दीन से उनका भावनात्मक लगाव तो है, लेकिन उनमें दीनी शिक्षा का अभाव है। बहुत से ग़ैर-इस्लामी रीति-रिवाज़ और परंपराएं इनमें अपनी जगह बना चुकी हैं। आम शिक्षाओं में भी अन्य क़ौमें इनसे काफ़ी आगे हैं। मुसलमान आर्थिक लिहाज़ से भी बहुत पिछड़े हैं। नौकरियों में भी इनका अनुपात नाममात्र का है। व्यापार व उद्योग धंधों में वे कमज़ोर हैं, संसाधनों की कमी और तकनीकी अनभिज्ञता की वजह से वे देश की दूसरी क़ौमों से आगे नहीं बढ़ पाते।

भारत के संविधान व क़ानून के लिहाज़ से देश में हर धार्मिक और सांस्कृतिक इकाई को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। मुसलमानों के लिए

भी अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी स्वतंत्रता मौजूद है । मुसलमानों की अक्सरियत (बहुलता) सामाजिक मामलों में अपने दीन पर अमल करती है और कुछ मामलों में उनसे कोताही भी होती है । सोचनीय बात यह है कि हुकूमत और न्यायपालिका की तरफ़ से पर्सनल लॉ में यदा-कदा हस्तक्षेप होता रहता है । कुरआन और हदीस से जो आदेश प्रमाणित हैं और जिन पर उम्मते मुस्लिमा का मतभेद है उनके विरुद्ध भी अदालतों के फ़ैसले आ जाते हैं, जिनसे मुसलमानों में बेचैनी का पैदा होना स्वाभाविक है । इस हस्तक्षेप के विरुद्ध मुसलमान आवाज़ भी उठाते हैं और अपने इस अज्म व इरादे का इज़हार भी करते हैं कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप गवारा नहीं करेंगे ।



भारतीय समाज एक मिश्रित समाज है । यहां की आबादी बड़ी हद तक सामाजिक व सांस्कृतिक सहृदयता की परंपराएं रखती है । हिन्दू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग आमतौर पर शांतिप्रियता के साथ रहते हैं । वे एक-दूसरे के सुख-दुख में सम्मिलित होते हैं । स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और बाज़ार हर जगह उनका एक-दूसरे से पाला पड़ता रहता है । बहुत से लोगों के अन्दर देश की सेवा और उसके विकास के लिए जिद्दोजहद की भावना पायी जाती है ।

आम आबादी की ख़ैरपसंदी (सुभेच्छा) के बावजूद देश का एक वर्ग आक्रामक देशभक्ति का समर्थक है । वह फ़सादी मानसिकता रखता है और देश को एक विशेष सभ्यता व संस्कृति का बलात् पाबंद बनाना चाहता है । इस गिरोह की हरकतों से यहां की दूसरी तहज़ीबी इकाइयां और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भय महसूस करते हैं । यह तत्व विशेष रूप से मुसलमानों को देश की दुश्मन क़ौम की हैसियत से देखता है । उसकी तरफ़ से अक्सर लड़ाई-झगड़े और दंगे होते रहते हैं, जिनमें इन्सानों के जान व माल का नुक़सान होता है । कभी-कभी प्रशासन का समर्थन भी उपद्रवी तत्वों को प्राप्त होता है, इस वजह से मुसलमान अपने आपको परेशानी की हालत में महसूस करते हैं । मुसलमानों और शांतिप्रिय लोगों के लिए संतोष का पहलू यह है कि देश का क़ानून इस आक्रामक देशभक्ति और दंगों के ख़िलाफ़ है और इस ग़लत रुझान को यहां के लोगों का समर्थन भी प्राप्त नहीं है ।

मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोग, इदारे और तंज़ीमें इनकी समस्याओं को शान्तिप्रिय तरीक़े से हल करने और इन्हें दीन और शरीअत का पाबन्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीवन व्यतीत करें और एक आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करें । मुनासिब है कि मैं यहां जमाअत इस्लामी हिन्द और उसकी सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन करूं । जमाअत इस्लामी हिन्द इस देश में मुसलमानों की एक बड़ी और संगठित जमाअत है, जो पूरे देश में फैली हुई है । इसके सदस्यों और कार्यकर्ताओं की संख्या हज़ारों में है । इससे हमदर्दी रखने और इसके साथ सहयोग करने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं । जमाअत की कोशिश है कि इससे लगाव रखने वाले लोग इस्लामी शिक्षाओं की पाबंदियों और अपने नैतिक चरित्र से इस्लाम का आदर्श नमूना पेश करें ।

देश में मुसलमान लगभग 15 प्रतिशत और हिन्दू भाई 85 प्रतिशत हैं । जमाअत की कोशिशों का एक ख़ास लक्ष्य यह है कि यहां ग़ैर-मुस्लिम आबादी में इस्लाम का व्यापक परिचय हो । उन्हें बताया जाए कि इस्लाम एक ईश्वरीय धर्म है और यह पूरी मानवता के लिए सरापा रहमत है । इसमें लोक और परलोक दोनों की भलाई है । जमाअत की कोशिश है कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो

ग़लतफ़हमियां हैं वे दूर हों और इस्लाम की सही तस्वीर देश के सामने आये ।

इस्लाम के परिचय के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द ने देश की चौदह बड़ी भाषाओं में क़ुरआन, हदीस और सीरत के अनुवाद उपलब्ध किये हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामी किताबें तैयार करायी गयी हैं । इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए वह सारे प्रचलित और जायज़ संसाधनों का इस्तेमाल करती है । जमाअत के काम का दूसरा मैदान उम्मते मुस्लिमा की इस्लाह और तर्बियत है । जमाअत कोशिश करती है कि उम्मत दीन से पूरी तरह परिचित हो । उसके अन्दर दीन को समझने की योग्यता प्राप्त हो, विशेष रूप से अपने पारिवारिक ज़िन्दगी में वह इस्लाम के आदेशों का पाबन्द हो और मुसलमानों में आदर्श परिवार की स्थापना हो ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी जमाअत अपनी भूमिका अदा करती है । देश में पांच सौ से अधिक जमाअत इस्लामी हिन्द से संबंधित शैक्षिक संस्थान काम कर रहे हैं । इसमें प्राथमिक कक्षा से लेकर हाईस्कूल और कॉलेज तक के संस्थान सम्मिलित हैं । दीनी दर्सगाहें भी हैं, जहां दीनी विषयों में उच्च शिक्षा दी जाती है ।

जमाअत इस्लामी हिन्द बड़े पैमाने पर जन-सेवा का कर्तव्य बिना किसी भेदभाव के इन्सानी बुनियाद पर अंजाम देती है । आपदा ग्रस्त लोगों के लिए चिकित्सीय व आर्थिक सहायता प्रदान करती है । इस तरह इसने छोटे-बड़े चिकित्सालय पूरे देश में स्थापित किये हैं । इनसे सारे देशवासी लाभांवित हो रहे हैं । इसके साथ-साथ वह छात्रों को छात्रवृत्ति भी देती है । बेरोज़गारों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार रोज़गार उपलब्ध करती है । जो लोग सहायता के पात्र हैं, उनकी सहायता करती है । जमाअत विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है । शान्ति व सलामती की स्थापना और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए वह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक लोगों और संस्थाओं से संपर्क स्थापित करती है ।

जमाअत मुसलमानों की धार्मिक व राजनीतिक संस्थाओं से बराबर संबंध रखती है । मुसलमानों के बीच एकता के लिए संयुक्त प्लेटफार्म मौजूद हैं । इनका उद्देश्य यह है कि समस्याएं पैदा हों, तो उन्हें संयुक्त रूप से हल किया जाए और मिल्लत की तरक़्क़ी व विकास के कार्यक्रमों को मिल-जुलकर कार्यान्वित किया जाए । जमाअत इस्लामी हिन्द की तरफ़ से हुकूमत को उसकी ज़िम्मेदारियों की अदायगी और आम इन्सानी समस्याओं के निवारण की तरफ़ समय-समय पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है और सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाने के लिए लोगों की रहनुमाई की जाती है ।

नि:संदेह ये सेवाएं, मुल्क व मिल्लत की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के लिहाज़ से कम हैं । इन्हें ज़्यादा बड़े पैमाने पर अंजाम देने की ज़रूरत है । जो कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह तआला उन्हें क़बूल करने, प्रभावशाली बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ।

अनसुलझे प्रश्न

रिश्तों के अनसुलझे गणित में
तुम्हारे प्रश्नों की अनंत प्यास
कैसे बुझेगी
मेरे उत्तरों से ?
मेरा हर बेमतलब उत्तर
खड़ा करेगा
एक नया प्रश्न
खड़ा होगा फिर
उगते प्रश्नों का
पूरा का पूरा
एक जंगल ।

मैं जानता हूं
प्रश्नों के जंगल में सिर्फ़
जिज्ञासाओं की जंगली घास
भ्रामक भूल-भुलैया
और...
आक्षेपों के हिंसक
पशु ही मिलते हैं
निराकरण के
रास्ते नहीं मिलते ।

कुमार शर्मा 'अनिल'
1192-बी, सेक्टर 41-बी, चंडीगढ़

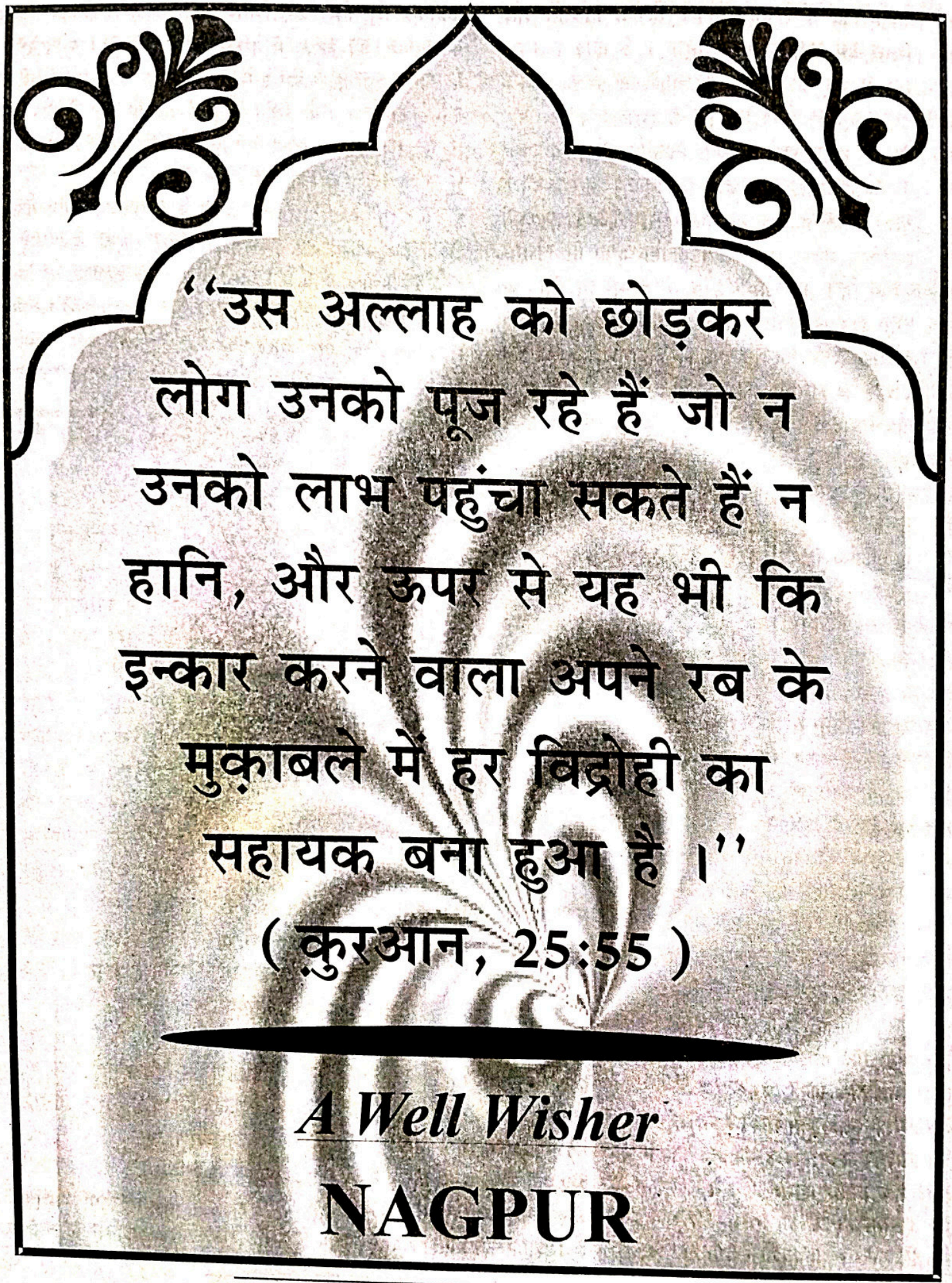
"उस अल्लाह को छोड़कर
लोग उनको पूज रहे हैं जो न
उनको लाभ पहुंचा सकते हैं न
हानि, और ऊपर से यह भी कि
इन्कार करने वाला अपने रब के
मुक़ाबले में हर विद्रोही का
सहायक बना हुआ है ।"
(क़ुरआन, 25:55)
A Well Wisher
NAGPUR

हज़रत ख़नसा बिन्त अम्र (रज़ि०)

❖ तालिब हाशमी

①

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) के ख़िलाफ़त के दौर में जंगे क़ादसिया अरब सरज़मीन पर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग थी । इस युद्ध में ईरान ने 300 हाथियों समेत हथियारों से लैस 2 लाख सैनिकों को मुसलमानों के सामने ला खड़ा किया था । दूसरी ओर मुस्लिम सैनिकों की कुल संख्या तीस से चालीस हज़ार के बीच थी । इस युद्ध में कुछ लोग अपने परिवार के साथ आये थे ।

इस अवसर पर एक बूढ़ी महिला अपने चार नवजवान बेटों के साथ युद्ध भूमि में मौजूद थी । एक दिन उस बढ़ी महिला ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा :

''मेरे बच्चो ! तुम अपनी ख़ुशी से इस्लाम लाए और अपनी ख़ुशी से हिजरत की । उस ज़ात की क़सम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के लिए जिहाद करने से बढ़कर सवाब का कोई दूसरा काम नहीं है । आख़िरत की स्थायी ज़िन्दगी दुनिया की समाप्त हो जाने वाली ज़िन्दगी से कहीं श्रेष्ठ है । अल्लाह तआला फ़रमाता है : ''ऐ मुसलमानो ! सब्र से काम लो और साबित क़दम रहो और आपस में मिलकर रहो । और अल्लाह तआला से डरते रहो ताकि तुम्हारी मुराद पूरी हो ।'' (क़ुरआन, 3:200)

कल अल्लाह ने चाहा और तुम सुबह तक ख़ैरियत से रहे, तो होशियारी के साथ और अल्लाह से विजय की दुआ मांगते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ना । और जब तुम देखो कि घमासान युद्ध शुरू हो गया और हर ओर उसकी लपटें भड़कने लगीं तो तुम युद्ध भूमि में कूद पड़ना और हक़ के लिए दीवानावार तलवार चलाना । संभव हो तो शत्रु के सिपहसालार पर टूट पड़ना । यदि सफल रहे तो उत्तम और यदि शहादत मिली तो और भी उत्तम कि परलोक में सम्मान के अधिकारी बनोगे ।''

चारों बेटों ने एक स्वर में जवाब दिया, ''हे मेरी अच्छी मां ! अल्लाह ने चाहा तो हम आपकी आशाओं पर खड़े उतरेंगे और आप हमें साबित क़दम पाएंगी ।''

सुबह को जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो उस बूढ़ी महिला के चारों बच्चे अपने-अपने घोड़ों की बागें पकड़े युद्ध भूमि में कूद पड़े । उस महिला के मुख पर एक विशेष प्रकार का तेज था । अपने बेटों को युद्ध भूमि में भेजने के बाद वह सजदे में गिर पड़ीं और बोलीं :

''या अल्लाह ! मेरे पास यही कुल पूंजी थी, जो अब तेरे हवाले है ।''

अपनी मां के उपदेश को सुनकर उन नवजवानों के दिलों में भी शहीद होने का शौक़ उमड़ आया था । अब जो युद्ध भूमि में कूदने का अवसर मिला तो ऐसी बहादुरी और साहस का परिचय दिया कि लोग देखते ही रह गये । जिस ओर झुक जाते शत्रु की सेना को काटते हुए जाते । अंत में सैकड़ों विरोधी यौद्धाओं ने उन्हें घेर लिया । वे अंत तक लड़ते रहे और लड़ते-लड़ते आख़िरकार शहीद हो गये ।

जब उस मां को अपने बच्चों की शहादत की सूचना मिली तो न वह रोयी, न चिल्लाई बल्कि अल्लाह के सामने सजदा में गिर गयीं और कहा :

''उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने बेटों का क़ुर्बान करने की सआदत दी । अल्लाह तआला से उम्मीद है कि वह क़ियामत के दिन मुझे उन बच्चों के साथ अपनी रहमत के साये में जगह देगा ।''

वह बूढ़ी महिला जिसने धैर्य व संयम तथा सब्र व शुक्र का ऐसा प्रदर्शन किया वह थी हज़रत ख़नसा बिन्त अम्र (रज़ि०)।

②

हज़रत ख़नसा (रज़ि०) गिनी-चुनी महान महिला सहाबियों में से एक थीं । नज्द के बनू सुलैम क़बीला से उनका ताल्लुक़ था । हज़रत ख़नसा (रज़ि०) का अस्ली नाम 'तमाज़िर' था । तमाज़िर चूंकि बहुत ही चुस्त, चालाक और सुन्दर थीं इसलिए उन्हें 'ख़नसा' यानी हिरनी के नाम से

पुकारा जाने लगा ।

उनके पिता अम्र बिन हारिस बनू सुलैम का रईस (सरदार) थे और अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे । उन्होंने अपने बच्चों के पालन-पोषण पर विशेष ध्यान दिया और उनके बच्चे बड़े होकर उच्च मानवीय मूल्यों के वाहक बने । हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) को शुरू से ही शेरो-शायरी में रुचि थी । धीरे-धीरे उसी रुचि ने उन्हें एक परिपक्व कवित्री बना दिया ।

उनका विवाह अपने ही क़बीले के एक नवजवान अब्दुल उज़्ज़ा से हुआ । उनसे एक बेटा अबू शजरह अब्दुल्लाह पैदा हुआ । लेकिन उनके पति की जल्द ही मृत्यु हो गयी । हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) की दूसरी शादी बनू सुलैम के ही एक दूसरे नवजवान मरदास बिन अबी आमिर से हुई । उनसे उन्हें तीन बेटे–अम्र, ज़ैद और मुआविया और एक बेटी अम्रा पैदा हुई । मरदास एक बहादुर और हौसलामन्द आदमी था ।

उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक दलदली ज़मीन को कृषि योग्य भूमि बनाने की ठानी और उस में सफल रहा । लेकिन वहां की नम और मरतूब हवाओं ने उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाला और उसी बीमारी में वे चल बसे । उसके बाद हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) जीवन भर विधवा रहीं ।

❸

हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) के ज़माने में ही फ़ारान की चोटियों से आफ़ताबे रिसालत (सल्ल॰) चमका और अरब का चप्पा-चप्पा उसके नूर से जगमगाने लगा । लेकिन दुर्भाग्य से मक्का वालों ने हिदायत के इस नूर से अपनी आंखें बन्द कर लीं और हक़ के इस चिराग़ को फूकों से बुझाने की भरसक कोशिश करने लगे । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) हिजरत करके मदीना चले गये और वही इस्लाम का केन्द्र बन गया और हक़ का सन्देश धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा ।

हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) के कानों तक जैसे ही हक़ की आवाज़ पहुंची, उनके दिलो-दिमाग़ में उतर गयी । अपने क़बीले के कुछ लोगों को साथ लिया और मदीना मुनव्वरा पहुंच गयीं और आप (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गयीं ।

फिर वे अपने क़बीले में वापस गयीं और वहां के लोगों तक इस्लाम का सन्देश पहुंचाया । हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालिक थीं । उनकी ज़ुबान में बहुत असर था । अतएव बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया । उसके बाद वे समय-समय पर मदीना आतीं और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित होकर इस्लाम के बारे में अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करतीं । हाफ़िज़ इब्न हिज्र अस्क़लानी (रह॰) ने लिखा है कि एक मौक़े पर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) बड़ी देर तक हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) का कलाम सुनते रहे । वे सुनाती जाती थीं और आप (सल्ल॰) कहते जाते थे । "शाबाश ! ऐ ख़नसा, शाबाश !"

❹

हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) को अपने भाइयों से बहुत लगाव था । भाई भी उन्हें बहुत चाहते थे । लेकिन उनके दोनों भाई जवानी में ही मारे गये । चूंकि आप शेरो-शायरी भी किया करती थीं, इसलिए अपने भाई के सोग में उन्होंने मरसिया पढ़ा । वह मरसिया अरब साहित्य में इतना बड़ा शाहकार समझा जाता है कि वे अभी भी अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली समझी जाती हैं ।

❺

इस्लाम की इस जलीलुलक़द्र महिला का जंगे क़ादसिया के सात-आठ साल बाद इन्तिक़ाल हुआ । इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन ।

हालांकि हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) से कोई हदीस उल्लिखित नहीं है लेकिन उनकी गिनती जलीलुलक़द्र महिला सहाबियों में होती है । आख़िर जिनके हुस्ने कलाम को स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने प्रशंसा की हो उनकी क़द्रो मंज़िल में कौन सन्देह कर सकता है ?

फिर हज़रत ख़नसा (रज़ि॰) हक़ की राह में अपने जिगर के टुकड़ों की शहादत पर जिस बेमिसाल संयम का प्रदर्शन किया है उसने निस्सन्देह उनके नाम को दोनों जहान में रौशन कर दिया है ।

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

जूता और किताबें

■ देवेन्द्र कुमार मिश्रा
(छिन्दवाड़ा, म०प्र०)

उसे बाज़ार से कुछ किताबें ख़रीदनी थी और अपने लिए जूते भी । वह कई दुकानों में गया । लेकिन उसे अपनी पसन्द के जूते नहीं मिले । उसने सोचा बड़े शोरूम में ही मनमुताबिक़ जूते मिलेंगे । किताबों की दुकानें पास में ही थी । उसने दुकानदार को कुछ किताबों के नाम बताएं । किताब बेचने वाले ने कहा–''मैं इस तरह की पुस्तकें नहीं रखता । आप आगे की दुकान पर देख लीजिए ।''

''आप क्यों नहीं रखते ?'' उसने पूछा ।

''बिकती नहीं है ।'' दुकानदार ने कहा ।

''तो आपके यहां कौन-सी किताबें बिकती हैं ।'' उसने पुनः पूछा ।

''जो लोगों का मनोरंजन करती हैं । जैसे जासूसी कहानियां, सेक्स कहानियां, अपराध कहानियों वाली पुस्तकें ।'' दुकानदार ने उत्तर दिया । हालांकि उस समय उसकी दुकान ख़ाली थी । वह इकलौता ग्राहक था । रविवार का दिन था । शाम का समय था ।

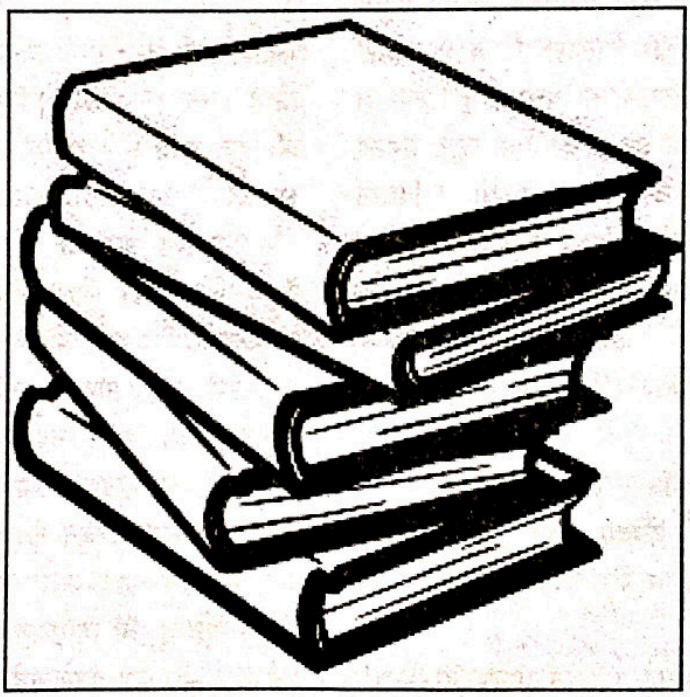

''क्या किताबों के पढ़ने वाले कम हो गये हैं । हर दुकानों में ग्राहक दिख रहे हैं, लेकिन आपकी दुकान पर... '' उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया ।

''हां, कम होना स्वाभाविक ही है । अब मनोरंजन के बहुत से विकल्प मौजूद हैं । घर-घर में टी०वी० है । कंप्यूटर इंटरनेट है । हर हाथ में मोबाइल है । एक मिनट में गूगल पर जाकर आदमी अपनी पसन्द की चीज़ खोज लेता है । फिर किताबों में क्यों ख़र्च करें आदमी ?''

उसने धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया । दूसरी दुकान में दो-एक ग्राहक थे । जो पुस्तक ख़रीदी पर डिस्काउंट मांग रहे थे । दुकानदार उन्हें समझा रहा था'' इनमें कोई कमीशन नहीं है । मुझे ही कुछ ज़्यादा नहीं बचता । आपको कैसे दे ?''

ग्राहक ने कहा–''जब आपको कुछ नहीं बचता तो ये किताबें रखते क्यों हो ?''

दुकानदार ने कहा–''ताकि ज्ञान जीवित रहे । बौद्धिक ख़ुराक मिलती रहे लोगों को । जो आज के ज़माने में ज़रूरी है ।''

ग्राहक ये कहकर बाहर निकल गया कि बिना लाभ के व्यापार में बर्बादी होती है । ऐसी चीज़ें रखते ही क्यों हो ? और रखते हो तो बेचने के लिए कोई स्कीम तो चलानी चाहिए ।''

इस दुकान में उसे अपने मतलब की कुछ किताबें मिली । लेकिन जो सूची उसके पास थी किताबों की । उस सूची की पूरी किताबें नहीं थी । वह सोच में पड़ गया कि एक-दो किताब ख़रीद ले या जहां एक साथ पूरी किताबें मिले वहां से ख़रीदे । उसने दुकानदार को पुस्तकों की सूची दिखायी । दुकानदार ने ख़ुश होते हुए कहा–''शुक्र है इन किताबों को पढ़ने वाले मौजूद हैं अभी । आप ऐसा करिए । आगे एक चौराहा पड़ेगा । वहां एक व्यक्ति किताबें बेचता है । उसके पास पुरानी किताबों का शानदार कलेक्शन मिल जाएगा । आपको रास्ते में ही मिल जाएगी । आप वहीं चले जाइए ।''

वह निकलकर चौराहे की तरफ़ बढ़ा । रास्ते में उसे कई जूतों की बड़ी-बड़ी दुकानें दिखायी दी । बड़ी-बड़ी कंपनियों के जूतों की दुकानें । दुकानें कहना ठीक नहीं होगा । कोई किराना या साधारण जनरल स्टोर की दुकानें नहीं थी । शोरूम थे बड़े-बड़े । चमकते कांचों के अन्दर जूते बड़े ही सुन्दर तरीक़े से रखे हुए थे । इन भव्य शोरूमों में भव्य लाइटें लगी हुई थी । कालीन बिछे हुए थे । उसे जूते ख़रीदने ही थे । उसने सोचा क्यों न जूते देख लिए जाएं ? वह एक शोरूम में दाख़िल हुआ । शोरूम के मालिक ने उससे पूछा–''आपको क्या चाहिए ? जूते या चप्पल ।''

उसने कहा–''जूते ।''

''हमारे यहां सबसे बड़ी ब्रांडेड कंपनी के जूते हैं । आप देख लीजिए ।'' शोरूम के मालिक ने कहा ।

तुरंत एक कर्मचारी ने कहा–''आइए सर, इस तरफ़ आइए ।'' और वह जूते दिखाने लगा । उनकी क़ीमत बताने लगा । एक कर्मचारी कांच के गिलास में पानी लेकर आया । दूसरा कर्मचारी चाय लेकर आ गया । पूरा शोरूम वातानुकूलित था । उसे शोकेस के अन्दर एक जूता पसन्द आया । क्या डिजाइन थी ? क्या कारीगरी थी ? कितने ज़बरदस्त लग रहे थे । उसने कहा–''मुझे ये जूते चाहिए ।''

कर्मचारी ने ओढ़ी हुई विनम्रता से कहा–''सर, आपका नम्बर क्या है ?'' उसने कहा–''शायद आठ ।''

''सर, आप इस पर पैर रखिए ।'' पैरों की नाप लेने का स्केल था वह ।

उसने पैर रखना चाहिए, लेकिन कर्मचारी ने कहा–''सर इस कुर्सी पर बैठिए । फिर पैर रखिए । ताकि आपको कोई असुविधा न हो ।'' वह कुर्सी पर बैठ गया । पैर रखे उसने सामने बने स्केल पर ।

''सर, ठीक कहा था आपने । आठ नम्बर ही है ।'' फिर उसने आठ नम्बर के जूते निकालकर उसके सामने रख दिये और कर्मचारी जूतों के बंध खोलकर उसे अपने हाथों से पहनाने लगा । जूतों के बंध भी कर्मचारी ने ही अपने हाथों से बांधे । फिर कहा–''सर, आप थोड़ा चलकर देखिए ।'' वह चला । उसे जूते सुविधाजनक लगे । उसने क़ीमत पूछी । कर्मचारी ने कहा–''सर, सात हज़ार रुपये ।'' वह चौंक गया । उसका बजट जूते के लिए मात्र पांच हज़ार का था । उसे भी मालूम था कि जूतों की क़ीमत आजकल



ज़्यादा होती है । फिर ब्रांडेड कंपनी के जूते तो महंगे होते ही हैं । वह कुछ कहता इससे पहले उसे शोरूम के मालिक की तेज़ आवाज़ सुनाई दी । वह किसी ग्राहक को डांट रहा था ।

''ब्रांडेड जूतों का शोरूम है । कोई सब्ज़ी बाज़ार नहीं है । यहां मोल-भाव नहीं होता । कंपनी की तरफ़ से डिस्काउंट दिया ही जा रहा है ।''

उसे वह ग्राहक लज्जित दिखायी दिया और जूते ख़रीदकर वह बाहर निकला ही होगा कि शोरूम के मालिक का फिर स्वर सुनाई दिया । ''औक़ात रहती नहीं और चले आते हैं शोरूम में जूते ख़रीदने ।'' अब वह सोच रहा था कि यदि मैं मोल-भाव करता हूं या कम क़ीमत के जूते दिखाने को कहता हूं, तो निश्चित ही ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा । और वह इतने बड़े शोरूम में जूतों के कारण लज्जित नहीं होना चाहता था । कर्मचारी ने कहा–''आइए सर ।'' वह कर्मचारी के साथ चलते हुए काउंटर पर पहुंचा । मालिक ने कंप्यूटर से बिल बनाकर देते हुए कहा–''20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ सात हज़ार में । और कुछ चाहिए आपको ।''

''फ़िलहाल नहीं, धन्यवाद'' उसने कहा ।

''सर, अभी इन जूतों की पॉलिस उपलब्ध है । आप ले जाइए । बाद में शायद न मिले । अच्छी चीज़ पहन रहे हैं

तो पॉलिस भी ज़रूरी है ।'' दुकानदार ने पॉलिस की डिब्बी निकालकर सामने रख दी । न जाने क्यों शोरूम की चमक के सामने वह कुछ बोल नहीं पाया । पॉलिस की क़ीमत पांच सौ रुपये थी । वह इन्कार न कर सका । यंत्रचलित-सा उसने पांच सौ का नोट निकालकर शोरूम के मालिक के सामने रखा । तत्काल उसे बिल थमा दिया गया । नक़ली मुस्कराहट के साथ मालिक ने कहा–''फिर आइएगा ।''

वह कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया । उसके पास अब कुल तीन सौ रुपये बचे थे । सौ रुपये उसे ऑटो के लिए घर पहुंचने के लिए लगने थे । शेष दो सौ रुपये में वह किताबें ख़रीदने की सोच रहा था । वह जानता था कि दो सौ रुपये में मेरी सूची की किताबें नहीं आ पाएगी ।

फिर भी वह चौराहे वाली दुकान पर पहुंचा । चौराहे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई पुस्तक की दुकान नहीं थी । हां, एक आदमी ज़मीन पर सैकड़ों किताबें रखकर बैठा हुआ था और स्वयं एक किताब पढ़ने में मग्न था । किताबें सड़क के किनारे रखी हुई थी । इसलिए उन पर धूल का गुबार चढ़ा हुआ था । उसे दुकान के सामने खड़ा हुआ देखकर दूकानदार ने पढ़ने पर से ध्यान हटाते हुए कहा–''आइए बाबूजी, क्या चाहिए ?''

किताब बेचने वाले की हालत किताबों की तरह ही थी । बिखरी दाढ़ी, बिखरे बाल । चेहरे पर छाई अजीब-सी ख़ामोशी ।

''रस्ते का माल सस्ते में । ज्ञान-ध्यान, भक्ति, वैराग्य, साहित्य, संस्कृति से भरपूर किताबें आधे दाम में ।'' पुस्तक विक्रेता ने कहा ।

वह किताबों की तरफ़ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा । जूते कांच के आलीशान एयरकंडीशन शोरूम में और किताबें धूल खाती हुई सड़क पर ।

''कौन-सी किताब चाहिए आपको ?''

उसने पुस्तकों की सूची पकड़ा दी । दूकानदार ने सूची पर नज़र डाली और कहा–''आपको ये सारी किताबें मिल जाएगी हमारे यहां ।''

''कितने की होगी ?''

दुकानदार ने उसे सिर से पैर तक देखा और रुखे स्वर में कहा–''आपके जूतों से कम ही क़ीमत की होगी ।''

उसे दूकानदार की बात बुरी लगी लेकिन चुप रहा । दुकानदार ने हिसाब लगाकर कहा–''आपकी पूरी दस किताबें मात्र पांच सौ रुपये में ।''

उसके पास इतने रुपये नहीं थे । उसने मोल-भाव करने के उद्देश्य से कहा–''बाबा किताबें पुरानी है । इनकी हालत भी ठीक नहीं है । ठीक-ठीक लगा दो ।''

''ठीक-ठीक लगाकर ही बता रहा हूं । पुरानी होने के कारण ही आधे में दे रहा हूं । अन्यथा एक किताब की क़ीमत पांच सौ रुपये है ।''

उसे लगा कि सड़क किनारे बैठा पुरानी पुस्तकें बेच रहा है । ऐसी पुस्तकें तो रद्दी में बिकती हैं किलो के भाव । शायद बूढ़ा दूकानदार मान जाए । उसने कहा–''दो सौ रुपये में देना हो तो बोलो ।''

पुस्तक विक्रेता ने किताबें वापस रखते हुए कहा–''बेटा तुम्हें ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत ज़्यादा थी । जो तुमने ख़रीद लिए । जाओ यहां से । समय बर्बाद मत करो ।'' और बूढ़ा दूकानदार पुनः पुस्तक पढ़ने में लीन हो गया ।

दूकानदार की बातों से उसे चोट लगी । लेकिन उसने कहा कुछ नहीं । क्योंकि बूढ़ा पुस्तक विक्रेता सच बोल रहा था । उसने ऑटो किया और ऑटो में बैठकर उसके सामने दोनों दृश्य तैर रहे थे । कांच के शोरूम में सजे हुए जूते और सड़क किनारे धूल खाती हुई किताबें । हमें ज्ञान की नहीं जूतों की ज़रूरत ज़्यादा है । हर तरफ़ से जूते खाने के बाद भी जूते क़ीमती हैं आदमी के लिए । किताबें नहीं ।

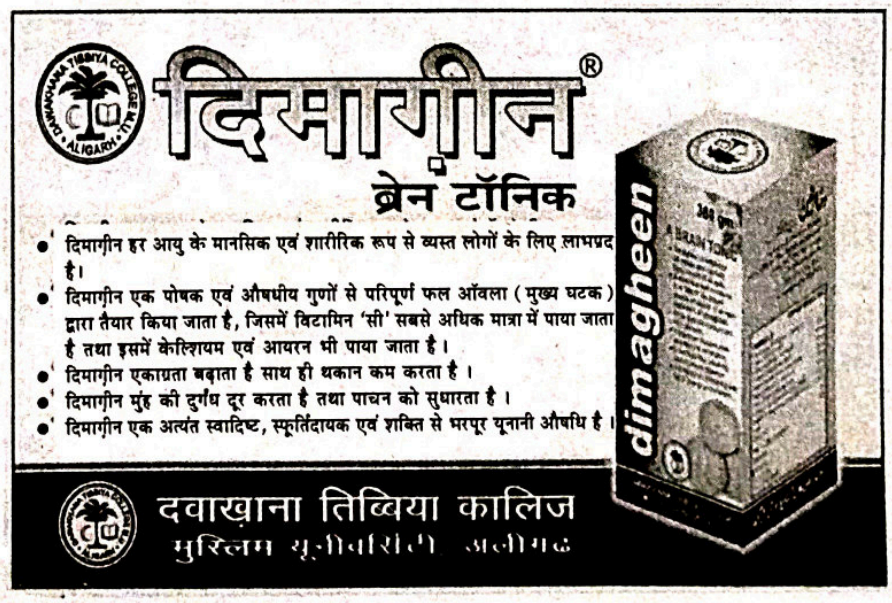

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن
اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گٹھیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔
گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی
مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام،
سرعت انزال، ضعف باہ
اور جملہ امراض مردانہ
میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی

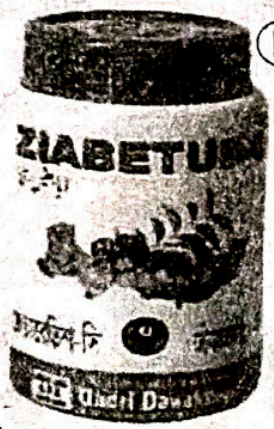

مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔
پیشاب کی زیادتی اور
ذیابطیش سے ہونے والی
کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539
www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

हज़रत जाबिर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–"क़सम है उस (अल्लाह) की जिसके हाथ में मुहम्मद के प्राण हैं, यदि मूसा तुम्हारे सामने प्रकट हों और तुम उनका अनुसरण करो और मुझे छोड़ दो, तो निश्चय ही तुम सीधे मार्ग से भटक जाओगे । यदि मूसा जीवित होते और मेरी नुबूवत (के समय) को पाते, तो मेरा अनुसरण करते ।"

(दारमी, मुसनद अहमद)

A Well Wisher

KOLKATA

हज : शर्तें व क़िस्में

● हाफ़िज़ मुहम्मद अहद

एकेश्वरवाद और ईशदूतत्व की गवाही के बाद नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम के मूल स्तंभ हैं । ऐसी कई हदीसें हैं, जिनमें अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इन पांचों चीज़ों को इस्लाम का स्तंभ बताया है । हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को यह फ़रमाते हुए सुना, "इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गयी है : गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई उपास्य नहीं और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना ।"

इन इबादतों में से नमाज़ और रोज़ा विशुद्ध शरीर, ज़कात विशुद्ध धन-दौलत, जबकि हज विशुद्ध धन व शरीर का संग्रह है, इसलिए कि इसमें धन भी ख़र्च होता है और इन्सानी शरीर की शक्तियां भी ख़र्च होती हैं ।

हज का शाब्दिक अर्थ हैं, अ़ज़मत वाली जगह का इरादा व संकल्प करना, जबकि हज का शरई परिचय यह है, विशिष्ट स्थानों का, विशिष्ट कर्मों के साथ विशिष्ट ज़माने में अदा करना ।

हज का फ़र्ज़ होने की शर्तें

हज के फ़र्ज़ होने की शर्तें और हज की अदायगी की शर्तें । हज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हज के फ़र्ज़ होने की कुछ शर्तें हैं, जो निम्नलिखित हैं–

मुसलमान होना : हज और इस्लाम की बाक़ी इबादतों के फ़र्ज़ होने की प्राथमिक शर्त इस्लाम है । किसी भी ग़ैर मुस्लिम पर इस्लाम की कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं है ।

आज़ाद होना : आज़ादी हज की दूसरी शर्त है, इसलिए कि गुलाम अगर अपनी गुलामी के दिनों में कई हज भी कर ले, लेकिन जब वह आज़ाद होगा, तो उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ होगा । उसने जो गुलामी के दिनों में हज किये हैं, उनकी हैसियत नफ़्ली हज की होगी । अर्थात, स्वैच्छिक रूप से किये गये हज की होगी ।

वयस्क होना : हज की तीसरी शर्त वयस्क होना है ।



अदायगी का तरीक़ा

अगर कोई अवयस्क हज करता है, तो उसका हज नफ़्ली गिना जाएगा और जब वह वयस्क होगा, तो उसे अपना फ़र्ज़ हज अदा करना होगा । अवयस्क बच्चा अगर अपने माता-पिता के साथ हज पर जाता है, तो उसको हज के सारे कामों को अदा करना चाहिए, अगर वह खुद हज के अरकान (अनुष्ठान) अदा नहीं कर सकता, तो माता-पिता को चाहिए कि वे उसे उठाकर सारे अरकान अदा करें, ताकि उस बच्चे को भी हज का सवाब मिले ।

बुद्धिमान होना : अगर कोई व्यक्ति पागल या विक्षिप्त है, तो उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ नहीं है । इसलिए कि पागल और विक्षिप्त इस्लामी शरीअत के किसी आदेश का मुकल्लिफ़ ही नहीं है, इसलिए इन पर कुछ फ़र्ज़ नहीं । अलबत्ता अगर कोई पागल या विक्षिप्त स्वस्थ्य हो जाए, तो उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ है ।

सामर्थ्यवान होना : अगर किसी व्यक्ति में उपर्युक्त चारों शर्तें मौजूद हैं, लेकिन उसके पास मक्का मुकर्रमा जाने के लिए सवारी, ज़ादे राह (पाथेय) और सामर्थ्य नहीं है, तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है । हज के लिए एक शर्त सामर्थ्यवान और धनवान होना ज़रूरी है । इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण क़ुरआन और हदीस दोनों में है और सूरह आले इमरान में फ़रमाया गया, "लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है कि जिसको इस घर तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वह इसका हज करे, और जो कोई इस आदेश के अनुपालन से इन्कार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह संसार के सारे लोगों से बेपरवाह है ।" (क़ुरआन, 3:97)

बहुत-सी हदीसों में भी यह स्पष्टीकरण मौजूद है, जैसे हज़रत अली (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जो व्यक्ति पाथेय और सवारी का मालिक है, जो उसको बैतुल्लाह तक पहुंचा दे और वह हज न करे, तो फिर कोई अन्तर नहीं कि वह यहूदी मरे या ईसाई । और यह इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में फ़रमाया कि अल्लाह के वास्ते उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है, जो उस तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते हों ।"



हज की अदायगी की शर्तें

जिस व्यक्ति में हज फ़र्ज़ होने की उपर्युक्त पांचों शर्तें पायी जाएं, तो उस पर हज फ़र्ज़ है । अब इस हज को अदा करने का मरहला आता है और हज को अदा करने की भी निम्नलिखित शर्तें हैं । ये शर्तें जिस व्यक्ति में पायी जाएंगी, उसके ज़िम्मे खुद से हज अदा करना ज़रूरी होगा । इस सूरत में यह व्यक्ति अपनी जगह किसी और को हज पर नहीं भेज सकता ।

स्वस्थ होना : हज को अदा करने की प्राथमिक शर्त स्वस्थ्य होना ज़रूरी है । अगर कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है कि मक्का मुकर्रमा का सफ़र नहीं कर सकता, तो उस पर खुद से हज की अदायी फ़र्ज़ नहीं है ।

रास्ते का शांतिमय होना : अगर रास्ता शांतिमय नहीं है, तो इस सूरत में भी उस व्यक्ति पर हज की अदायगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब चूंकि हवाई जहाज़ जैसी यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि इन्सान हज़ारों मील का सफ़र घंटों में तय कर लेता है, तो अब यह शर्त लगभग मादूम (निरस्त) हो चुकी है ।

औरत के लिए शौहर या महरम का साथ होना : उपर्युक्त शर्तों के साथ औरत पर हज फ़र्ज़ होने की एक अतिरिक्त शर्त यह है कि उसके साथ शौहर या महरम हो । औरत का बिना शौहर या महरम के हज के सफ़र पर जाना जायज़ नहीं है । हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "कोई आदमी किसी औरत के साथ ख़िल्वत (एकांतवास) न करे और न कोई औरत सफ़र करे, मगर उसके साथ महरम हो ।" एक आदमी ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ! फ़लां-फ़लां युद्ध की शिरकत में मेरा नाम लिख दिया गया है और मेरी बीवी हज को अदा करने के लिए निकली है । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जा और अपनी बीवी के साथ हज कर ।" (हदीस)

हमारे समाज में इस हवाले से काफ़ी कोताहिया देखने को मिलती हैं, जैसे औरतें बिना महरम के हज पर चली जाती हैं । एक औरत के साथ उसका शौहर या महरम होता है, तो दूसरी औरत उस औरत के साथ चली जाती है कि चलो एक के साथ महरम तो है न । हालांकि यह सरासर ग़लत है । मुंह बोले भाई महरम नहीं होते, इसलिए उनके साथ हज पर जाना जायज़ नहीं है । इस्लामी क़ानून के अनुसार चूंकि औरत बिना महरम के नहीं जा सकती, इसलिए औरतें ग्रुप लीडर या किसी ग़ैर महरम को महरम बनाकर हज पर चली जाती हैं, ऐसा करने पर दो गुनाह ज़रूर होते हैं, एक ग़लत बयानी का और एक बिना महरम के हज पर जाने का ।

औरत का इद्दत में न होना : औरत के लिए अलग से एक शर्त यह भी है कि वे इद्दत में न हों । इद्दत भी हज की अदायगी के लिए रुकावट है ।

यहां यह बात भी विदित रहे कि अगर कोई औरत बिना महरम के या इद्दत के दौरान हज पर चली जाती है तो इस सूरत में तो उसका फ़र्ज़ हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन बिना महरम के या इद्दत के दौरान सफ़र करने का गुनाह उसके सिर रहेगा ।

हज्जे बदल या उसके आदेश

हज के हवाले से एक अहम मसला यह है कि क्या किसी और की तरफ़ से हज किया जा सकता है या नहीं ? अगर किया जा सकता है, तो इसके आदेश क्या हैं ? इस हवाले से यह नोट कर लें कि अगर किसी व्यक्ति में हज फ़र्ज़ होने की सारी शर्तें पायी जाती हैं, लेकिन उसमें हज की अदायगी की कोई एक शर्त न पायी जाती हो, तो इस सूरत में यह व्यक्ति अपनी तरफ़ से किसी और को हज के लिए भेज सकता है । इसका कारण यह है कि हज विशुद्ध शारीरिक इबादत नहीं, बल्कि आर्थिक और शारीरिक इबादतें इसमें शामिल हैं । इसलिए इसमें किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व मजबूरी की हालत में जायज़ है । अलबत्ता नमाज़ और रोज़ा चूंकि विशुद्ध शारीरिक इबादत हैं, इसलिए इनमें किसी का प्रतिनिधित्व मजबूरी की हालत में भी जायज़ नहीं है अर्थात नमाज़ या रोज़ा किसी की तरफ़ से अदा नहीं किया जा सकता । किसी दूसरे की ओर से हज करने को इस्लामी धर्मशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में "हज्जे बदल" कहा जाता है । हज्जे बदल के बारे में कुछ आदेश इस तरह हैं:

कोई अवयस्क किसी की तरफ़ से हज नहीं कर सकता । जिस व्यक्ति ने अपना फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया, उसका हज्जे बदल के लिए जाना मकरूह है । जिस व्यक्ति

की तरफ़ से हज किया जा रहा है, उसके ज़िम्मे से फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा । जिस व्यक्ति पर हज फ़र्ज़ हो और उसकी मृत्यु हो जाए, फिर वह इतना माल छोड़े कि उसके तीसरे हिस्से से हज अदा हो सके और वह हज करने की वसीयत भी करे, तो वारिसों पर उस मृतक की तरफ़ से हज करना फ़र्ज़ है । जिस व्यक्ति पर हज फ़र्ज़ था और उसकी मृत्यु हो गयी, मगर उसने इतना माल नहीं छोड़ा या उसने हज करने की वसीयत नहीं की, तो उसकी तरफ़ से वारिसों पर हज करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वारिस उसकी तरफ़ से हज करे, तो अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है कि उस मृतक का फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा । जिस व्यक्ति पर हज फ़र्ज़ नहीं था, अगर उसका वारिस उसकी तरफ़ से हज करे, तो मृतक को उस हज का सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर पहुंचेगा ।

अगर कोई इतना बीमार है कि हज को नहीं जा सकता या अपाहिज है और उसे अपने ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो वह अपनी ज़िन्दगी में ही किसी से हज करा सकता है । अगर किसी औरत में हज फ़र्ज़ होने की सारी शर्तें पायी जाती हैं, लेकिन उसके साथ हज पर जाने के लिए शौहर या महरम न हो, तो उसको चाहिए कि मरने से पहले हज की वसीयत करे या अगर उसे महरम मिलने का उम्मीद न हो तो उसके लिए जायज़ है कि वह अपने जीवन में ही किसी से हज्जे बदल कराए । अगर इन्सान सामर्थ्यवान हो, तो उसे अपने दिवंगत माता-पिता की तरफ़ से हज्जे बदल ज़रूर करना या किसी से करवाना चाहिए । उमरा की हैसियत चूंकि नफ़्ल की है, इसलिए उमरा किसी का नाम लेकर भी किया जा सकता है, इसमें हज्जे बदल की तरह मजबूरी भी शर्त नहीं है ।

हज जीवन में केवल एक बार फ़र्ज़ है

इस्लामी शरीअत की तरफ़ से पूरे जीवन में हज केवल एक बार फ़र्ज़ है । इसके बाद अगर कोई हज करता है, तो उसकी हैसियत नफ़्ल की होगी । इस हवाले से एक हदीस इस तरह बयान की गयी है । हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल॰) ने हमें ख़ुत्बा दिया और इरशाद फ़रमाया, "ऐ लोगो ! अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, अतः तुम हज करो ।"

एक व्यक्ति ने कहा : या रसूलुल्लाह (सल्ल॰) ! क्या यह हर साल फ़र्ज़ है ? आप (सल्ल॰) ख़ामोश रहे । उसने तीन बार यह सवाल किया, तो आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "अगर मैं हां कर देता, तो फिर हज हर साल फ़र्ज़ हो जाता और तुम हरगिज़ इसकी ताक़त न रखते ।"

इस हवाले से भी हमारा समाज कमोबेश का शिकार है । कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सामर्थ्य के बावजूद अपना फ़र्ज़ हज अदा नहीं करते और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल हज के लिए जाते हैं । सामर्थ्यवान लोगों को चाहिए कि हर साल ख़ुद हज पर जाने के बजाय अपने रिश्तेदारों में से किसी ग़रीब को हज करवा दें या किसी निर्धन की सहायता कर दें । ये नफ़्ली हज से ज़्यादा सवाब के काम हैं । और बाक़ी वे लोग जो सामर्थ्य के बावजूद हज पर नहीं जाते, वे इस विलम्ब के कारण गुनाह के पात्र हो रहे हैं, उनको चाहिए कि पहली फ़ुरसत में अपना फ़र्ज़ हज अदा करें ।

हज्जे असग़र और हज्जे अकबर की पारिभाषिक शब्दावली

असग़र के अर्थ हैं छोटे और अकबर के अर्थ बड़े होते हैं । इस्लामी शरीअत की तरफ़ से उमरा को हज्जे असग़र और हज को हज्जे अकबर कहा जाता है । लेकिन हमारे समाज में इस हवाले से यह कोताही देखने में मिलती है कि जो हज जुमा वाले दिन हो, उसको हज्जे अकबर कहा जाता है और हज जुमा के अलावा बाक़ी किसी दिन हो, उसको हज्जे असग़र कहा जाता है, हालांकि इस्लामी शरीअत की ओर से ऐसा नहीं है ।

इस्लामी शरीअत में उमरा को हज्जे असग़र और हज (चाहे वह किसी भी दिन हो) को हज्जे अकबर कहा गया है । इस हवाले से एक हदीस बयान की गयी है । हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) ने मुझे उन लोगों के साथ रवाना किया जो क़ुरबानी वाले दिन मुक़ामे मिना में इस काम का एलान कर रहे थे कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे और काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) कोई व्यक्ति निर्वस्त्र न करे । और हज्जे अकबर क़ुरबानी वाले दिन है । इसको हज्जे अकबर इसलिए कहा गया है कि (अज्ञान काल में) कुछ लोग उमरा को हज्जे असग़र के नाम से नामांकित करते थे ।"

सामर्थ्य के बावजूद हज में विलम्ब करना उचित नहीं : हमारे समाज में यह कोताही बहुत आम होती जा रही है कि एक व्यक्ति में हज के फ़र्ज़ होने और हज को अदा करने की सारी शर्तें पायी जाती हैं, लेकिन वह अकारण हज करने में विलंब करता रहता है । ऐसा करने की सख़्त चेतावनी आयी है । इमाम शाफ़ई और इमाम मुहम्मद के अलावा बाक़ी सारे इमामों का इस बात पर सहमति है कि अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्य के बावजूद हज में विलंब करता है, तो वह इस विलंब की वजह से गुनहगार है ।

दूसरी कोताही यह है कि हमारे समाज की बहुलता हज के लिए बुढ़ापे का इन्तिज़ार करती है और उस वक़्त हज पर जाती है, जब उनमें कमज़ोरी इस तरह हो जाती है कि हज के मनासिक अदा करने में उनको बहुत तकलीफ़ और परेशानी सहन करनी पड़ती है । इस हवाले से हमें चाहिए कि शक्ति और सामर्थ्य होते ही हज के लिए चले जाएं और मामले में सेहत और जवानी को बीमारी और बुढ़ापे पर वरीयता दें ।

हज की क़िस्में और उनका परिचय

हज को अदा करने का तरीक़ा बयान करने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि हज की क़िस्में बयान की जाएँ। हज तीन तरह के होते हैं ।

हज्जे इफ़राद : इफ़राद के शाब्दिक अर्थ हैं, अकेला और तनहा, जबकि शरई शब्दावली में केवल हज की नीयत से एहराम बांधकर हज के अरकान और मनासिक अदा करना और उमरा साथ न मिलाना, हज्जे इफ़राद कहलाता है । हज्जे इफ़राद करनेवाले को "मुफ़रिद" कहा जाता है । इमाम शाफ़ई (रह०) के नज़दीक 'हज्जे इफ़राद' अफ़ज़ल है । (इस हवाले से यह याद रखें कि मुफ़रिद पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, मुस्तहब है, जबकि हज की बाक़ी दोनों क़िस्मों में क़ुरबानी वाजिब होती है ।

हज्जे क़िरान : क़िरान (क़ाफ़ के कसरह के साथ) के शाब्दिक अर्थ हैं : दूसरी चीज़ों को आपस में मिला देना, जबकि शरई शब्दावली में उमरा और हज दोनों की नीयत से एहराम बांधना और एकही एहराम के साथ पहले उमरा और फिर हज अदा करना और इसके बीच में एहराम न खोलना, हज्जे क़िरान कहलाता है । हज्जे क़िरान करनेवाले को 'क़ारिन' कहा जाता है । इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक हज्जे क़िरान अफ़ज़ल है ।

हज्जे तमत्तो : तमत्तो के शाब्दिक अर्थ हैं : नफ़ा उठाना, जबकि शरई शब्दावली में आज़िमे हज का मीक़ात (हाजियों के एहराम बांधने की जगह) से पहले उमरा की नीयत से एहराम बांधना और उमरा के अरकान और मनासिक अदा करने के बाद एहराम खोल देना और उसी साल हज के दिनों में हज की नीयत से दोबारा एहराम बांधना और मनासिके हज अदा करना, हज्जे तमत्तो कहलाता है । इमाम मालिक के नज़दीक हज्जे तमत्तो अफ़ज़ल है ।

उमरा अदा करने का तरीक़ा

भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर लोग हज्जे तमत्तो करते हैं । इसलिए हज को अदा करने के तरीक़े को बयान करने से पहले उमरा अदा करने के तरीक़े को बयान करना नितांत ज़रूरी है । उमरा के चार अरकान हैं, जिनमें से दो फ़र्ज़ और दो वाजिब हैं । सबसे पहले उमरा की नीयत करते हुए मीक़ात से एहराम बांधें और एहराम के बाद तल्बिया का दौर शुरू कर दें । मस्जिदे हराम (काबा) आकर तवाफ़ करें । ये दोनों अरकान फ़र्ज़ हैं । सफ़ा-मरवा की सई करें और इसके बाद हल्क़ (मुंडन) या क़स्र कराके एहराम खोल दें । ये दोनों अरकान वाजिब हैं । ये चारों अरकान अदा करने के बाद उमरा पूरा हो गया । अब हज के दिनों तक आप जितने चाहें इस तरीक़े पर उमरा करें । यहां यह बात याद रखें कि हज के विशिष्ट पांच दिनों अर्थात 8 से 12 ज़िलहिज्जा तक उमरा करना मकरूहे तहरीमी है ।

हज-अदा करने का तरीक़ा

आठ ज़िलहिज्जा से बारह ज़िलहिज्जा तक हज के विशिष्ट पांच दिन हैं । इन पांच दिनों में हज के लगभग सारे वाजिब और फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं । नीचे प्रतिदिन के मनासिक और कामों को क्रमवार रूप से दिया जा रहा है :-

हज के पहले दिन (8 ज़िलहिज्जा) के काम

मीक़ात से एहराम बांधना : 8 ज़िलहिज्जा को फ़ज्र की नमाज़ मक्का में जमाअत के साथ अदा करें और ग़ुस्ल या वज़ू करके मीक़ात जाकर एहराम बांध लें । इसके बाद एहराम के दो रकअत नफ़ल नमाज़ अदा करें ।

हज की नीयत करना और तल्बिया पढ़ना : एहराम

की नफ़्ल नमाज़ पढ़ लेने के बाद हज की नीयत करें और यह दुआ पढ़ें : "ऐ अल्लाह ! मैं हज की नीयत करता हूं/करती हूं, इसको मेरे लिए आसान बना और इसे मेरी तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा ।" इसके बाद तल्बिया पढ़ें और दुआ करें । अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो गयीं ।

मिना रवानगी और वुक़ूफ़े मिना (मिना में ठहरना) : सूर्योदय के बाद मिना रवाना हो जाएं । 8 ज़िलहिज्जा की ज़ुहर, अस्र, मगरिब और इशा की नमाज़ें मिना में जमाअत के साथ अदा करें ।

नोट : अगर कोई व्यक्ति 8 ज़िलहिज्जा को मिना नहीं जाता और मक्का मुकर्रमा में ही रहता है और यहीं से 9 ज़िलहिज्जा को अरफ़ात के लिए रवाना हो जाता है, तो इस तरह करने से मनासिक हज के हवाले से तो कोई ख़राबी ज़रूरी नहीं होती, इसलिए कि 8 ज़िलहिज्जा को मिना में हज का कोई मनासिक अदा नहीं होता, अलबत्ता इस तरह करने से रसूलुल्लाह हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की सुन्नत की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी और यह व्यक्ति इसकी वजह से गुनाहगार होगा । इसलिए मुनासिब यही है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सुन्नत को अदा करते हुए 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाएं और अगले दिन यहीं से अरफ़ात के लिए रवाना हों ।

हज के दूसरे दिन (9 ज़िलहिज्जा) के काम

मिना में फ़ज्र की नमाज़ की अदायगी और तक्बीरे तशरीक़ : 9 ज़िलहिज्जा को फ़ज्र की नमाज़ मिना में अदा करें और 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज़ से 13 ज़िलहिज्जा की अस्र की नमाज़ तक हर नमाज़ के बाद तक्बीरे तशरीक़ कहना वाजिब है । इसलिए हाजी और ग़ैर हाजी दोनों को चाहिए कि वे हर नमाज़ के बाद तक्बीरे तशरीक़ कहें ।

मैदाने अरफ़ात रवानगी वुक़ूफ़े अरफ़ा : सूर्योदय के बाद ग़ुस्ल (जो कि सुन्नत है) या वुज़ू करके तल्बिया कहते हुए अरफ़ात रवाना हो जाएं । अगर कोई फ़ज्र की नमाज़ के बाद और सूर्यास्त से पहले अरफ़ात की तरफ़ रवाना हो गया तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है । ज़वाल से सूरज डूबने तक अरफ़ात के मैदान में वुक़ूफ़ (ठहरना) करना हज का सबे बड़ा रुक्न है । अगर कोई हाजी ज़वाल से सूर्यास्त तक एक पल के लिए भी अरफ़ात पहुंच गया तो उसका हज हो गया । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का इरशाद है : असल हज तो अरफ़ा ही है ।

नोट : वुक़ूफ़े अरफ़ा के अवसर पर 'जबले रहमत' के पास ठहरें, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल॰) ने भी इस पहाड़ के पास वुक़ूफ़ किया था ।

वुक़ूफ़े अरफ़ा के दौरान तल्बिया, दुआएं और इस्तिग़फ़ारा करना : यह वक़्त दुआ के क़ुबूल होने का ख़ास वक़्त है । इसलिए सारे समय तल्बिया नम्रता और विनम्रता के साथ दुआ और इस्तिग़फ़ार में व्यस्त रहें । अपने अतीत के गुनाहों और कोताहियों पर अल्लाह से माफ़ी और अपने भविष्य के लिए गुनाहों से पाक जीवन जीने की दुआ मांगे । वुक़ूफ़े अरफ़ा के अवसर पर नबी करीम (सल्ल॰) ने उपर्युक्त दुआ को बेहतरीन दुआ और बेहतरीन कलिमा ठहरा दिया है ।

अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ एक साथ अदा करना : अरफ़ात की मस्जिदे निमरा में ज़ुहर और अस्र की नमाज़, ज़ुहर के वक़्त एक साथ जमाअत के साथ अदा करें । इसका तरीक़ा यह है कि इमाम पहले दो ख़ुत्बे दे, जिसमें हज के मनासिक के बारे में लोगों को सचेत करे और दो ख़ुत्बों के बीच जुमा के ख़ुत्बों की तरह बैठें । ख़ुत्बा से फ़ारिग़ होकर मुअज़्ज़िन ज़ुहर की नमाज़ के लिए इक़ामत कहे और इमाम ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाये । फिर मुअज़्ज़िन अस्र की नमाज़ के लिए इक़ामत कहे और इमाम अस्र की नमाज़ पढ़ाये । अगर किसी ने ज़ुहर की नमाज़ अपने ख़ेमे में अकेले अदा की, तो वह ज़ुहर और अस्र की नमाज़ एक साथ अदा नहीं करेगा, बल्कि वह ज़ुहर की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त में और अस्र की नमाज़ अस्र के वक़्त में अदा करेगा ।

सूर्यास्त के समय मुज़्दलफ़ा रवानगी : सूर्यास्त के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़े बिना तल्बिया कहते हुए मुज़्दलफ़ा रवाना हो जाएं ।

वुक़ूफ़े मुज़्दलफ़ा और नमाज़ मग़रिब और इशा की एक साथ अदायगी : मुज़्दलफ़ा पहुंच कर मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ इशा के वक़्त में जमाअत के साथ अदा करें । पहले मग़रिब के तीन फ़र्ज़ अदा करें, फिर तक्बीरे तशरीक़ और तल्बिया

पढ़ें । इसके बाद साथ ही इशा की नमाज़ अदा करें और तक्बीरे तशरीक़ और तल्बिया पढ़ें । फिर मग़रिब की दो सुन्नतें, फिर इशा की दो सुन्नतें और फिर वित्र की नमाज़ अदा करें । अगर किसी ने मुज़दलफ़ा पहुंचने से पहले ही मग़रिब की नमाज़ पढ़ ली, तो उसकी नमाज़ न होगी और उसके ज़िम्मे मुज़दलफ़ा पहुंचकर ऊपर बयान किये हुए तरतीब से दोबारा नमाज़ पढ़ना अनिवार्य होगा ।

नोट : वुक़ूफ़े अरफ़ा के दौरान अगर हाजी बिना जमाअत के अपने ख़ेमे में नमाज़ पढ़े, तो उनके लिए आदेश था कि वे ज़ुहर को ज़ुहर के वक़्त में और अस्र को अस्र के वक़्त में अदा करें, लेकिन वुक़ूफ़े मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ इशा के वक़्त अदा करनी हैं, चाहे जमाअत के साथ अदा करें या अलग-अलग ।

मुज़दलफ़ा में ज़िक्र व दुआएं मांगना : यह बड़ी फ़ज़ीलत व मुबारक बरकत वाली रात है । इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र, तिलावत, तल्बिया और दुआओं का एहतिमाम करें । इस रात अपने परवरदिगार को इस नम्रता व विनम्रता के साथ याद करें कि दिल में अल्लाह तआला के अलावा किसी की याद न हो ।" फिर जब अरफ़ात से चलो, तो 'मशअरे-हराम' (मुज़दलफ़ा) के पास पहुंचकर अल्लाह को याद करो और उसी तरह याद करो जिसकी सीख तुमको दी है ।"

(क़ुरआन, 2:198)

हज के तीसरे दिन (10 ज़िलहिज्जा) के काम

मुज़दलफ़ा में फ़ज्र नमाज़ अदा करना : वुक़ूफ़े मुज़दलफ़ा की रात दुआओं में लीन होकर पूरी रात गुज़ारने के बाद फ़ज्र की नमाज़ अव्वल वक़्त में जमाअत के साथ अदा करें । फिर सूरज निकलने तक अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हुए वहीं वुक़ूफ़ करें ।

नोट : मुज़दलफ़ा में जबले क़ुज : के क़रीब ठहरें, इसलिए कि आप (सल्ल॰) ने भी इसी पहाड़ के क़रीब वुक़ूफ़ किया था ।

मुज़दलफ़ा से कंकड़ियां उठाना : इस दौरान मुज़दलफ़ा से कंकड़ियां उठाएं, जो जमरात (शैतान) को मारने के लिए इस्तेमाल की जायेंगी । हर हाजी चने या खजूर की गुठली के बराबर सत्तर कंकड़ियां मुज़दलफ़ा से उठाए ।

मिना रवानगी और जमरे उक़बा की रमी : सूर्योदय के समय मिना के लिए प्रस्थान कर जाएं और मिना पहुंचकर सबसे पहले जमरे उबा (बड़े शैतान) की रमी (कंकड़ मारना) कीजिए । 10 ज़िलहिज्जा को केवल बड़े शैतान की रमी की जाती है । इस दिन रमी का अफ़ज़ल वक़्त सूर्योदय से ज़वाल तक है, लेकिन इसका जायज़ वक़्त 10 ज़िलहिज्जा के सूर्योदय से लेकर अगले दिन 11 ज़िलहिज्जा के सूरज निकलने से पहले तक है ।

रमी का तरीक़ा : 10 ज़िलहिज्जा को केवल बड़े शैतान की, जबकि अगले दोनों दिन तीनों ज़मरात की रमी की जाती है, इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि रमी का सुन्नत तरीक़ा भी ज़िक्र कर दिया जाए द्य रमी का तरीक़ा यह है कि सात कंकड़ियां हाथ में लेकर इस तरह खड़े हों कि मिना आपके दायें ओर और मक्का मुकर्रमा बाएं ओर हो । दायें हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगुली से पकड़कर एक-एक कंकड़ी स्तंभ पर मारते जाएं । (कंकड़ का अहाते में गिरना काफ़ी है, स्तंभ को लगना ज़रूरी नहीं) । हर कंकड़ी मारते वक़्त "बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर" कहें और यह दुआ पढ़ें : ऐ अल्लाह ! मेरे हज को क़ुबूल फ़रमा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे ।

नोट : रमी के दौरान तल्बिया पढ़ना बंद कर दें और बड़े शैतान की रमी के बाद उसके पास खड़े होकर दुआ न मांगें ।

क़ुरबानी करना : रमी के बाद क़ुरबानी कीजिये । क़ुरबानी करना वाजिब है । इस क़ुरबानी के लिए तीन दिन अर्थात 10, 11, 12, ज़िलहिज्जा निर्धारित हैं । इन दिनों में जब चाहें क़ुरबानी कर लीजिए, जबकि पहले दिन क़ुरबानी करना अफ़ज़ल है ।

हल्क़ या क़स्र (मुंडन या बाल मुंडवाना) करवाना : क़ुरबानी करने के बाद मर्द पूरे सिर के बाल मुंडवाएं या पूरे सिर के बाल उंगुली के पोरे से कुछ ज़्यादा काटें, मगर मुंडवाना ज़्यादा अफ़ज़ल है । महिलायें पूरे सिर के बाल उंगुली के पोरे से कुछ ज़्यादा कुतरवायें । फिर भी चौथाई सिर के बाल कट जाने का इत्मीनान ज़रूर कर लें । हल्क़ या क़स्र की शरई हैसियत फ़र्ज़ की है और इसके बाद केवल शारीरिक संबंध स्थापित करना हराम है, बाक़ी सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं ।

नोट : 10 ज़िलहिज्जा से पहले जो तीन मनासिक जमरे उक़बा बड़े शैतान की रमी, क़ुरबानी और मुंडन का ज़िक्र किये हैं, उनको इसी तरतीब से अदा करना वाजिब है । अगर किसी ने इस तरतीब से उलट किया तो उस पर गुनाह होगा ।

तवाफ़े ज़ियारत : मुंडन करवाने के बाद स्नान कीजिये । फिर सिले हुए कपड़े पहनकर या एहराम की ही चादरों में मक्का जाकर तवाफ़ (परिक्रमा) कीजिये । इसका समय मुंडन से फारिग़ होने के बाद 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक है । अफ़ज़ल यही है कि 10 ज़िलहिज्जा को ही कर लिया जाए, वरना 12 ज़िल्हिज्जा तक कभी भी किया जा सकता है । तवाफ़े ज़ियारत की शरई हैसियत फ़र्ज़ की है ।

सफ़ा व मरवा की सई : तवाफ़े ज़ियारत और दो रक्अत नमाज़े तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर सफ़ा व मरवा की सई करें । सफ़ा व मरवा की सई करना वाजिब है ।

नोट : अगर हाजी ने मक्का आने के बाद तवाफ़े क़दूम (अर्थात इस्तक़बाली तवाफ़) किया और उस तवाफ़ में रमल (तवाफ़ से पहले तीन चक्करों में अकड़ कर चलना) भी किया और इसके बाद सफ़ा व मरवा की सई भी की, तो अब उस हाजी के लिए तवाफ़े ज़ियारत में न तो रमल है और न उसपर सई वाजिब है । और हाजी ने मक्का आने के बाद तवाफ़े क़दूम नहीं किया, तो अब वह तवाफ़े ज़ियारत में रमल भी करेगा और उसके बाद सई करना भी उस पर वाजिब है ।

मिना वापसी : 10 ज़िलहिज्जा को उपर्युक्त सारे काम व मनासिक को अदा करने के बाद मिना वापस आ जाएं और रात मिना ही में गुज़ारें ।

हज के चौथे दिन (11 ज़िलहिज्जा) के काम

शैतानों को कंकड़ियां मारना : 11 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करें, पहले जमरा अव्वल (छोटा शैतान) को सात कंकड़ियां मारें, फिर उसके पास कुछ देर खड़े होकर क़िब्ला की तरफ़ मुंह करके दुआ मांगें । फिर जमरा वस्ता (मझिला शैतान) को सात कंकड़ियां मारें और दुआ मांगें । फिर जमरा उक़बा (बड़ा शैतान) को सात कंकड़ियां मारें, लेकिन उसके पास न खड़े हों और न दुआ मांगें । इस दिन रमी का सुन्नत वक़्त ज़वाल से सूर्यास्त से पहले तक है, जबकि इसका जायज़ वक़्त ज़वाल से सुबह सूरज निकलने से पहले तक है । रमी से फारिग़ होकर मिना वापस आ जाएं ।

हज के पांचवें दिन (12 ज़िलहिज्जा) के काम

तीनों जमरात की रमी : इस दिन भी ज़वाल के बाद सूरज डूबने से पहले तीनों जमरात की रमी करें, जिस तरह पिछले 11 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात की रमी की थी ।

13 ज़िलहिज्जा को मिना में रुकना और मक्का जाना

रुकना या जाना : 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकड़ियां मारने के बाद हाजी को अख़्तियार है कि मक्का चला जाए और अगर वह मक्का नहीं जाता और वापस मिना चला जाता है, तो अब उसके ज़िम्मे 13 ज़िलहिज्जा को भी ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को कंकड़ियां मारना ज़रूरी है । (अगर सूरज निकलने के बाद ज़वाल से पहले रमी कर ले तो भी जायज़ है) अफ़ज़ल यही है कि हाजी 13 ज़िलहिज्जा को भी मिना में ठहरे और तीनों जमरात की रमी करके फिर मक्का वापस आये । इसलिए कि हदीसों में लिखा है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हज्जतुलविदा के अवसर पर 12 ज़िलहिज्जा को जमरात की रमी के बाद मिना वापस गए, फिर 13 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी की और फिर मक्का रवाना हुए ।

12, 13 ज़िलहिज्जा को जब हाजी मक्का की तरफ़ वापसी के लिए कूच करे, तो उसको चाहिए कि मिना और मक्का के बीच में वादिए मुहसब में कुछ देर ठहरे, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल॰) ने इस जगह पर कुछ देर आराम किया था । यहां कुछ देर ठहरना सुन्नत है ।

तवाफ़े विदा : उपर्युक्त सारे कामों और मनासिक अदा करने के बाद आपका हज पूरा हो गया । अलबत्ता एक तवाफ़ (परिक्रमा) रह गया, जिसका समय मक्का मुकर्रमा से प्रस्थान करने का है, इसको तवाफ़े विदा कहा जाता है । इस तवाफ़ की शरई हैसियत वाजिब की है और इसका तरीक़ा आम नफ़्ल तवाफ़ की तरह है अर्थात न इसमें रमल होगा और न ही इसके बाद सफ़ा व मरवा की सई होगी, अलबत्ता तवाफ़ के दो नफ़्ल ज़रूरी हैं ।

है ज़ाहिद के लबों पर पस इक ही दुआ
या रब ! मुझे भी तो बैतुल्लाह दिखा दे ।

हज़रत जुनदुब (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने नबी करीम (सल्ल०) से सुना, "आप कहते थे कि सुन लो ! तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने अपने नबियों और अच्छे लोगों की क़ब्रों को सजदागाह (उपासना गृह) बना लिया करते थे । सावधान ! तुम क़ब्रों को सजदागाह न बनाना, मैं तुम्हें इस कर्म से बाज़ रहने की ताकीद करता हूं ।"

(मुस्लिम)

A Well Wisher

NAGPUR

मानवता का निर्माण और शिक्षा

● उमैर कोटी नदवी

शिक्षा इन्सान के लिए ज़रूरी है, चाहे वह कहीं का रहनेवाला हो और किसी भी क़ौम व धर्म से संबंध रखता हो । शिक्षा के बिना एक आम आदमी के लिए इज़्ज़त के साथ दो वक़्त की रोज़ी-रोटी को प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि उसका दैनिक जीवन भी अज़ाब बन जाता है । सामाजिक रहन-सहन भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है । इसे समझने के लिए इन्सानी आबादी के उस क्षेत्र पर विशेषरूप से नज़र डाल लेनी चाहिए, जिसे आमतौर पर पिछड़ी आबादी, ग़रीब आबादी, झुग्गी-झोपड़ी या उससे थोड़ा ऊपर मध्यम वर्ग अर्थात मिडिल क्लास की ग्रामीण व शहरी आबादी का नाम दिया जाता है । यहां पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को जो जितने क़रीब से देखता है, वह उसके दुख-दर्द व परेशानियों को उतनी ही गंभीरता से महसूस करता है । इतना ही नहीं वहां बीमारियों व समस्याओं के अंबार के अंबार नज़र आते हैं । सोच में ओछापन, नैतिकता में गिरावट और स्वभाव में तल्ख़ी पायी जाती है । क़दम-क़दम पर झगड़े, चीख़-पुकार, मारपीट, ख़ून-ख़राबा और न जाने वहां क्या-क्या मौजूद होता है । दु:ख और शोक से दो चार कर देनेवाली कब किस बात से वास्ता पेश आ जाए और कब कौन-सी चीज़ नज़र आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता । इन सब चीज़ों और दुखदायी मंज़र देखकर पहला ख़याल जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में आता है और वह चीज़ जिसकी तरफ़ उसका ज़ेहन जाता है वह शिक्षा है ।

शिक्षा इन्सान को सचेत करती है उन बातों से जिन्हें वह नहीं जानता है । वह दुनिया के बारे में ही नहीं, बल्कि उसके क़दमों के नीचे, सिर के ऊपर, आंखों के सामने और पीठ के पीछे की चीज़ों के बारे में भी बताती है । वह बताती और सिखाती है वह चीज़ जिसको जानकर और सीखकर उसके लिए जीवन गुज़ारना आसान हो जाता है । शिक्षा के माध्यम से जीवन-यापन करना आसान हो जाता है । इसे दुनिया की एक बड़ी आबादी ने अच्छी तरह से जान लिया है, यही कारण है कि उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसको प्राप्त करने में लग गया है और हर पल अनुभव और शोध किये जा रहे हैं ।

शिक्षा के माध्यम से इन्सान वह जान सका, जो वह नहीं जानता था और वह प्राप्त कर सका जो इससे पहले वह प्राप्त नहीं कर सका था । शिक्षा की इस ज़रूरत को महसूस करते हुए सारी क़ौम और सारे देशों ने इसकी ओर ध्यान दिया है । अपने ही देश को देखा जाए, तो यहां पर भी पिछले दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में नुमायां पेशक़दमी नज़र आती है । 1980 के बाद से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था में स्कूल की शिक्षा से वंचित बच्चों का अनुपात 50 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गया है । यह बड़ी सफलता है । इन तीन दशकों के दौरान कमोबेश 26 करोड़ बच्चों को स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने की पोज़ीशन में पहुंचा दिया गया है । बच्चों को स्कूल तक लाना भी बड़ी सफलता और यह बहुत ही अच्छी बात है ।

इस वक़्त सूरतेहाल यह है कि हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था सारी कमियों के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा (संख्या के लिहाज़ से) स्कूल सिस्टम है । इसी तरह हमारा देश भारत उच्च शिक्षा-व्यवस्था में छात्रों की संख्या के हिसाब से चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नम्बर पर है । इसमें कोई शक नहीं कि यहां से पढ़कर निकलनेवाले छात्र दुनिया भर में काम कर रहे हैं और यहां के डॉक्टर और इंजीनियर दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं ।

यह शिक्षा का एक रुख़ है और सांसारिक विकास, चमक-दमक, चकाचौंध इसके एक उद्देश्य सांसारिक लाभ की पूर्ति है । सांसारिक लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य ने एक मामले को तो आसान कर दिया कि ज़िन्दगी जीने को आसान बनानेवाली चीज़ें क़दमों में आ पड़ी हैं, लेकिन इसके नतीजे में उन्हें क़दमों में ला डालने की हवस भी पैदा

हो गयी है । इसका नुक़सान यह है कि वही तस्वीर जो अशिक्षित आबादी में नज़र आती है अब शिक्षित सोसायटी में भी नज़र आ रही है । लोभ और लालच की वजह से क़दम-क़दम पर आपस में रस्साकशी है, झगड़े हैं, लूट-खसोट और फ़िला-फ़साद है । इन्सान-इन्सान को खाए जा रहा है । कपटाचारियों का राज है । कोई किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है । हर इन्सान एक-दूसरे को अपमानित करने के लिए अवसर की ताक में है । इन सबकी वजह से इन्सानी आबादी शिक्षित होने के बावजूद बेचैनी व व्याकुलता से कराह रही है । हर तरफ़ चीख़-पुकार मची हुई है । इन्सान अपने मक़ाम से गिर चुका है और यहां तक कि अपनी पहचान भी खो चुका है ।

इस स्थिति में सोचनेवाली बात यह है कि अगर शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान व जानकारी है, वह उन बातों को बताती है जो इन्सान नहीं जानता था और उन राज़ों से परदा उठाती है, जो अब तक गोपनीय थे, तो मौजूदा सूरतेहाल इस तरह कैसे दुखदायी बन गयी है ? शिक्षा इस तरह ख़तरनाक और मानवता को तबाह व बरबाद कर देनेवाली कैसे बन गयी ? इस वक़्त शिक्षित वर्ग जो भूमिका निभा रहा है उसे क्या नाम दिया जाए ?

इन्सान का एक वह वर्ग है, जो इस वजह से परेशान है कि उसके पास शिक्षा नहीं है । दूसरा इन्सानों का वह वर्ग है, जिनके जीवन शिक्षित लोगों की वजह से तबाह व बरबाद हो रहे हैं । यह सूरतेहाल शिक्षा के इस पहलू से अनभिज्ञता की वजह से पैदा हुई है, जो इन्सान को उसके मक़ाम और उद्देश्य से परिचित कराता है । इस पहलू को इन्सानों के पैदा करने वाले ने 'दीन' का नाम दिया है । इसे दूसरे शब्दों में जीवन-व्यवस्था का नाम दिया जाता है । अल्लाह तआला ने समस्त मानव-जाति के लिए कम से कम इतनी शिक्षा अनिवार्य ठहराया है, जिसके माध्यम से इन्सान अपने पैदा करने वाले और ख़ुद अपने दुनिया में आने के उद्देश्य को जान सके और इस दुनिया में रहने-सहने और जीने-मरने का सलीक़ा सीख सके । वह इन्सानी ज़िन्दगी और जानवरों की ज़िन्दगी के बीच अन्तर करना जान जाए । आधुनिक शिक्षा से 'नैतिकता' को निकाल दिया गया है, इसकी वजह से समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है और शिक्षा का ग़लत इस्तेमाल किया जा रहा है ।

जानना चाहिए कि कौन-सा इल्म ज़रूरी है और कौन-सा नहीं । यह मानव-समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । अल्लाह तआला ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर आबादी में से यक़ीनन ऐसे लोग होने चाहिएं जो इस जगह को पूरा करें और दीन का इल्म ही प्राप्त न करें, बल्कि इसमें महारत के साथ-साथ इस्लाम की सही समझ भी प्राप्त करें । दीन के इल्म, इसमें महारत और इस्लाम की सही समझ को प्राप्त करने के बाद जब वे अपने समाज में वापस जाएं, तो फिर मार्गदर्शन और रहनुमाई का कर्तव्य निभाएं और उस्ताद की ज़िम्मेदारी को संभालें । यह वह महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए लोगों की फ़राहमी, इस काम के लिए संसाधनों की उपलब्धता और इस काम में हर तरह की सहायता व शिरकत समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है ।

बीजेपी के पूर्व नेता व क़ानून मंत्री राम जेठ मलानी ने इस्लामी किताबों को पढ़ने की बात कही थी । इससे भी पहले इस्लामी क़ानून से लाभ उठाने की बातें ज़ुबानों पर आती रही हैं । विगत दिनों यह ख़बर हिन्दुस्तान टाइम्स ने दी है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री मेनका गांधी ने छात्रों को सप्ताह में कम से कम दो बार धार्मिक किताबों का अध्ययन करने की ताकीद की है ।

उन्होंने ख़ुद अपने बारे में यह भी कहा कि "मैंने क़ुरआन पढ़ा है" इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा है कि "हमारे स्कूल के दिनों में हमें नैतिक शिक्षा दी गयी थी, लेकिन अब यह नहीं किया जाता है ।" इस वक़्त दुनिया अपने पैदा करनेवाले की तरफ़ से दी गयी शिक्षा, मार्गदर्शन जीवन-व्यवस्था के महत्व को महसूस कर रही है ।

बहरहाल इन सब बातों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म, जीवन-व्यवस्था, चरित्र और नैतिकता शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं । इनके बिना या इनसे आज़ाद शिक्षा इन्सान को इन्सान नहीं रहने देती है । वह इसे बद से बदतर की तरफ़ खींच ले जाती है । शिक्षा पर वार्तालाप करते वक़्त या इस संबंध में कोई भी क़दम उठाते वक़्त यह पहलू मन-मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए । शिक्षा बहुत ज़रूरी है लेकिन साथ ही इसके इस पहलू को भी जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से इन्सान अपने पैदा करनेवाले रब का बन्दा बने, दुनिया में आने का उद्देश्य जाने और दुनिया में रहने-सहने का सलीक़ा सीखे । यह हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन पूरी मानवता के लिए यह काफ़ी है और पूरी मानवता की ज़रूरत इतनी जानकारी से पूरी हो जाती है, यह बात ठीक नहीं है । ज़रूरी इल्म से आगाही अपने आपमें एलान कर रही है कि उस्ताद और माहिर की जगह ख़ाली है ।

जानना चाहिए कि कौन-सा इल्म ज़रूरी है और कौन-सा नहीं । यह मानव-समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । अल्लाह तआला ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर आबादी में से यक़ीनन ऐसे लोग होने चाहिएं जो इस जगह को पूरा करें और दीन का इल्म ही प्राप्त न करें, बल्कि इसमें महारत के साथ-साथ इस्लाम की सही समझ भी प्राप्त करें । दीन के इल्म, इसमें महारत और इस्लाम की सही समझ को प्राप्त करने के बाद जब वे अपने समाज में वापस जाएं, तो फिर मार्गदर्शन और रहनुमाई का कर्तव्य निभाएं और उस्ताद की ज़िम्मेदारी को संभालें । यह वह महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए लोगों की फ़राहमी, इस काम के लिए संसाधनों की उपलब्धता और इस काम में हर तरह की सहायता व शिरकत समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है ।

इस मक़ाम व पद के लिए जिन लोगों को चुना गया है और दीन के इल्म, इसमें महारत और इस्लाम की सही समझ की प्राप्ति में लगे रहने के लिए जिनको चुना गया है, वे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए स्वंय को किस तरह तैयार करें और अपने अन्दर किस-किस तरह की योग्यताएं पैदा करें, इस क्षेत्र को यूं ही नहीं छोड़ा गया है । इस सिलसिले में भी अल्लाह तआला ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है ।

इस्लाम की सही समझ के दायरे को इस्लाम ने फ़िक़्ह (इस्लामी धर्मशास्त्र) तक सीमित नहीं किया है, बल्कि पूरे दीन को इसकी परिधि में शामिल कर दिया है । इस्लाम की सही समझ की ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए ज़रूरी है कि अपनी क़ौम व मुख़ातब की ज़ुबान, ज़रूरत पड़ने पर एक नहीं बहुत-सी भाषाओं, कला-कौशल में महारत प्राप्त हो । सोचने-समझने और विचारधाराओं का क्षेत्र सीमित नहीं, व्यापक हो । हिकमत व बुद्धिमत्ता से अनभिज्ञता और सामाजिक हालात से बेख़बरी न हो, बल्कि दूरअंदेशी हो ।

'कान्ति' मासिक का आगामी विशेषांक

पश्चिमी जगत और मुसलमान

मुसलमानों ने पश्चिमी जगत को किस रूप में देखा, समझा और जाना ? इस विषय पर बहुत ही कम साहित्य उपलब्ध है । जबकि पश्चिमी जगत के लोगों के मुसलमानों के साथ संपर्क पर बहुतायत चीज़ें उपलब्ध हैं । ब्रिटिश मूल के अमेरिकी इतिहासकार एंवं विचारक बर्नार्ड लुइस (BERNARD LEWIS) ने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन किया है और ''द मुस्लिम डिस्कवरी ऑफ़ यूरोप'' (The Muslim Discovery of Europe) नामक पुस्तक लिखी है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई । इसकी उपादेयता और महत्व के मद्देनज़र 'कान्ति' (मासिक) के प्रस्तुत विशेषांक में इस पुस्तक के महत्वपूर्ण अंशों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । साथ ही पेश की गयी हैं इस विषय पर कुछ अन्य सामग्रियां ।

पृष्ठ लगभग : 120, मूल्य : 60 रुपये

संपादक, 'कान्ति' (मा०), दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

ई-मेल : **editorkanti@yahoo.com**

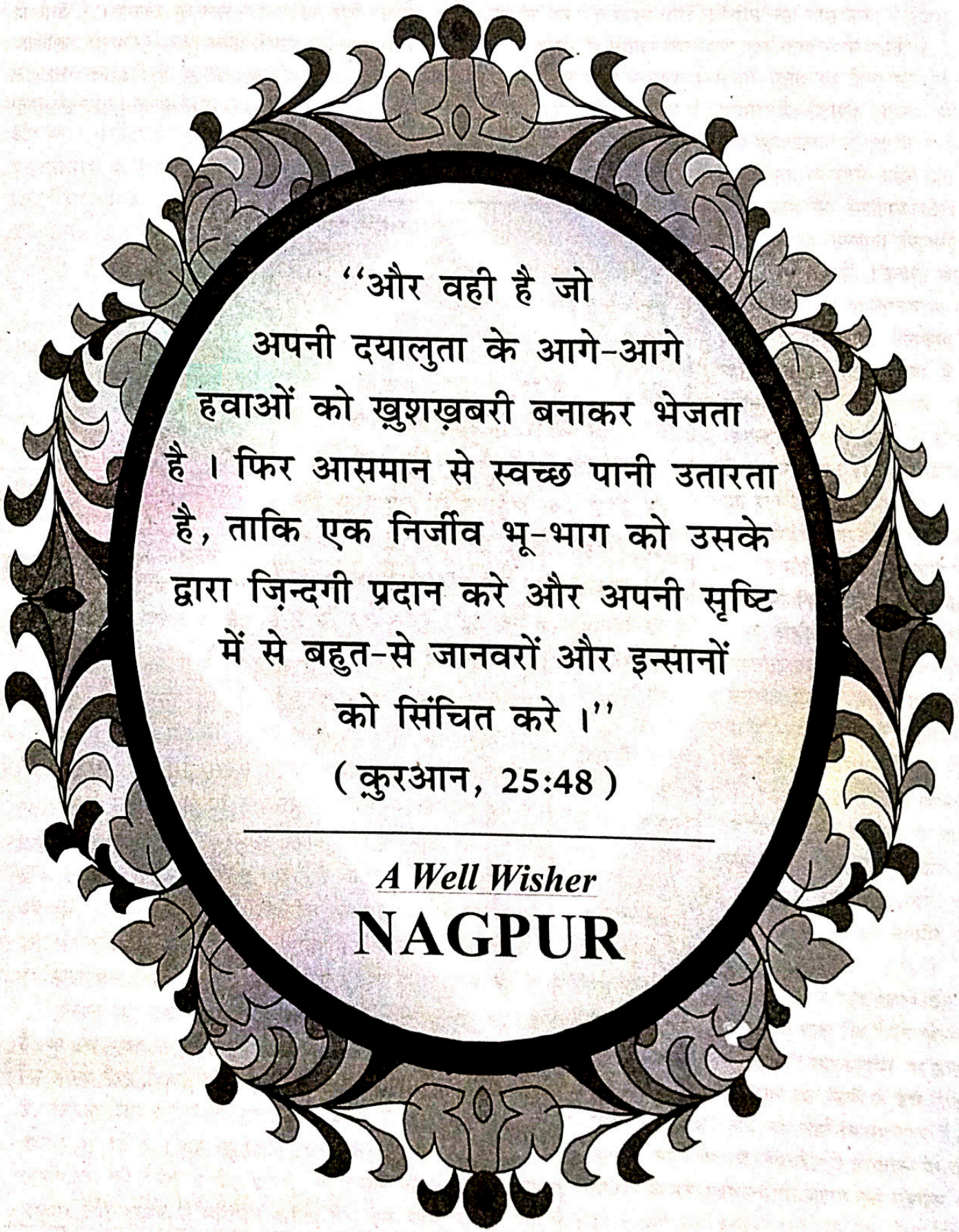
"और वही है जो
अपनी दयालुता के आगे-आगे
हवाओं को ख़ुशख़बरी बनाकर भेजता
है । फिर आसमान से स्वच्छ पानी उतारता
है, ताकि एक निर्जीव भू-भाग को उसके
द्वारा ज़िन्दगी प्रदान करे और अपनी सृष्टि
में से बहुत-से जानवरों और इन्सानों
को सिंचित करे ।"
(क़ुरआन, 25:48)
A Well Wisher
NAGPUR

बेड़ियां

■ डॉ॰ पुरन सिंह

बहुत छोटा था देवेश तब । तभी एक दिन रामबाबू बाज़ार से उसके नन्हें-नन्हें पांव के लिए छोटी-छोटी पायलों की तरह के कड़े ले आये थे जिनमें घुंघुरू लगे थे और अपने बेटे देवेश के दोनों पांव में पहना दिये थे । देवेश जैसे ही पैर ज़मीन पर रखता, रून-झुन रून-झुन की आवाज़ें होती तो फिर वह अगले पैर और जल्दी-जल्दी रखने लगता था । खुश हो जाते थे रामबाबू । कभी-कभी तो इतने खुश होते कि बुलाने लगते अपनी पत्नी रामसुती को, 'अरे देखो तो रामा, देबू कैसे जल्दी-जल्दी चल रहा है । ...अरे आओ भई, तुम भी चलाओ इसे ।' और रामसुती उन्हें अपलक देखती रहती, सोचती मानो उन्हें पूरी दुनिया की दौलत मिल गयी हो ।

धीरे-धीरे देवेश बड़ा होने लगा । रामबाबू ने उसे पढ़ाया, लिखाया और आज देवेश ओ॰एन॰जी॰सी॰ में सीनियर साईंटिस्ट है । हालांकि देवेश को यहां तक लाने में रामबाबू की ग्यारह बीघा ज़मीन स्वाहा हो गयी थी, फिर भी उन्हें संतोष था कि बेटा बड़ा आदमी बन गया ।

देवेश की नौकरी लगने के ठीक एक माह बाद रामसुती अपने पति को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गयी थी । दुख-सुख में बराबर साथ देने वाली अपनी पत्नी के बिछोह को सहन न कर सके थे रामबाबू और चारपाई पकड़ ली थी ।

कई बार तो उठकर चौंक पड़ते थे', रामा आ गयी तुम ।' फिर चारों तरफ़ देखते कहीं बेटा, बहू सुन न रहे हों । और जब यह विश्वास हो जाता कि बेटा बहू ने सुना नहीं है तो अपने ही आपसे कहने लगते', तुम नहीं आओगी न तो मुझे ही बुला लो अपने पास...बुला लो न...।' लगता मानो कोई अबोध बालक चिज्जी मांगने की ज़िद कर रहा हो ।

लेकिन रामसुती ने उन्हें अपने पास नहीं बुलाया । स्थिति यह हो गयी कि रामबाबू को अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता था । कई बार तो हालत यह हो जाती कि टट्टी-पेशाब की भी सुध नहीं रहती ।

एक दिन खाने पर बुलाया था देवेश ने मुझे । पूरी कोठी दिखायी थी अपनी लेकिन पीछे की तरफ़ वह नहीं ले गया था । मुझे वहां से कुछ आवाज़-सी सुनायी दी थी और आवाज़ के साथ-साथ दुर्गंध भी लगी थी । मैं उधर जाने को हुआ, तो रोकने लगा था देवेश मुझे । तब तक तो मैं पहुंच गया था वहां ।

मैंने देखा था, एक टूटी चारपाई पर एक बुज़ुर्ग लेटे थे । जगह-जगह टट्टी पड़ी हुई थी और मैंने देखा था कि उन बुज़ुर्ग का एक पैर एक बड़ी-सी ज़ंजीर से चारपाई के पाए के साथ बांध दिया गया था, मानो किसी को बेड़ियां पहना दी गयी हों । उन्होंने मुझे बेबस निगाहों से देखा था और अनायास ही उनके होठों से बेटा निकल गया था ।

मैंने देवेश की ओर घृणा से देखा तो वह बेशर्मी के साथ बोला था', डैडी...डैडी हैं मेरे, यू नो, पूरे घर में इधर-उधर घूमते हैं । विनीता, माई लाइफ़ फील्स...यू नो, आई थिंक दिस इज द प्रोपर वे ।'

'नो...दिस इज नांट द प्रोपर वे...यू...यू...लर्न...यू विल आलसो बी कम ऑन दिस स्टेज...लर्न...ही इज डैडी नॉट एन एनीमल ।' और इतना कहने के बाद मैं वहां से मुट्ठी बांधकर भागा था तो अपने घर पर ही सांस ली थी ।

न्याय

एक हंस अपनी हंसिनी के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में शाम हो गयी । उन्होंने वहीं रात बिताकर अगले दिन आगे जाने का कार्यक्रम बनाया और एक अच्छा-सा पेड़ देखकर वहीं रुक गये । उस पेड़ पर और आसपास के पेड़ों पर बहुत सारे कौवे रहते थे । कौओं ने हंस और हंसिनी की खूब आवभगत की । सुबह होने पर जब हंस अपनी हंसिनी के साथ जाने लगा तो एक कौए ने कहा कि इस हंसिनी को कहां ले जा रहे हो ? यह तो हमेशा से इसी पेड़ पर हमारे साथ रहती आयी है । हम अपनी हंसिनी को ऐसे थोड़े ही तुम्हारे साथ जाने देंगे ? हंस ने बहुत अनुनय-विनय की लेकिन कौओं ने उसकी एक न सुनी । दुखी होकर हंस ने पंचायत बुलाने की धमकी दी । कौओं ने कहा कि ठीक है

पंचायत जो फ़ैसला करेगी हमें मान्य होगा और ख़ुश होकर चिल्लाने लगे । आसपास के पेड़ों के सारे कौए इकट्ठे हो गये । कांव-कांव की कर्कश ध्वनि से जंगल गूंज उठा ।

न्यायाधीश कौओं की बेंच ने एकमत होकर फ़ैसला दिया कि ये हंसिनी तो हमेशा से यहां रहती आयी है अत: हंस का इस पर कोई अधिकार नहीं है और वह इसे साथ नहीं ले जा सकता ।

हंस ने सिर झुकाकर कहा, "मुझे आपका फ़ैसला मंज़ूर है । आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है लेकिन एक बात बताओ कि आप लोगों के बाद ऐसे बढ़िया फ़ैसले कौन करेगा ?"

एक न्यायाधीश कौए ने पंख फुलाकर घमंड से अकड़ते हुए कहा कि हमारे बाद हमारी औलाद और हमारे वंश के दूसरे सदस्य ऐसा न्याय करेंगे ।

"ऐसा उम्दा न्याय करने के बाद भी औलाद और वंश वृद्धि की उम्मीद रखते हो ?" इतना कहकर, कौए कुछ कहते इससे पहले ही, हंस दुखी मन से कौओं द्वारा निर्मित मानसिक यंत्रणा रूपी जेल की ओर उड़ चला ।

हंस के वियोग में हंसिनी बेचारी ने अपने प्राण त्याग दिये । कौओं को भी हंसिनी तो कहां मिलनी थी कालांतर में उस जंगल से ही कौओं का नामो-निशान मिट गया । जिस समाज में ऐसी न्याय व्यवस्था होगी उस समाज का मिट जाना अवश्यंभावी है ।

सीताराम गुप्ता
ए॰डी॰ 106-सी, पीतमपुरा, दिल्ली-34

टिन का बोर्ड

कबाड़ बीनते-बीनते आज उस बच्चे के हाथ टिन का एक बोर्ड लग गया । बोर्ड कुछ वज़नदार तो था, लेकिन जंग खा चुका था । इसे पाकर वह बहुत ख़ुश हुआ और सोचा कि आज तो इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे । अन्य कबाड़ के साथ उस टिन के बोर्ड को लेकर वह ख़ुशी-ख़ुशी कबाड़ी की दुकान की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर उसने कबाड़ी के सामने उसे डाल दिया ।

कबाड़ी ने बोर्ड को उलट-पलटकर देखा उस पर लिखा था-'सर्व शिक्षा अभियान'-सब पढ़ें सब बढ़ें । उसने मोड़ कर टिन के बोर्ड को दोहरा किया और फेंक दिया अन्य कबाड़ के साथ । बच्चे को आज और दिनों की अपेक्षा सामान की अधिक क़ीमत मिली । वह बग़ल के ही जनरल स्टोर की दुकान पर गया कुरकुरे के पैकेट के साथ कुछ टॉफियां भी ख़रीदी । पढ़ तो वह नहीं सकता था, लेकिन आज प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ गया ।

डॉ॰ जगदीश पंत 'कुमुद'
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
बाजपुर (ऊ॰सिं॰ नगर) उत्तराखंड

कुछ औरों से अलग

ख़बर है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के
एक व्यापारी ने अपनी बेटी के विवाह पर
90 मकान बनवा कर ग़रीबों में बांट दिए ।
ईश्वर धन तो अनेकों को देता है
किन्तु ऐसा दिल विरलों को ही मिलता है ।
देखने में आमतौर पर आता रहता है
कि अनेक पैसे वाले करोड़ों रुपये नक़द
अथवा सोना मंदिरों में चढ़ाते रहते हैं ।
अपनी-अपनी आस्था विश्वास की बात है ।
किन्तु ऐसा कुछ करना जिससे अनेकों
का भला हो कोई-कोई ही कर पाता है ।
रोटी, कपड़ा, मकान आज सबकी ज़रूरत है ।
रोटी, कपड़ा तो जैसे-तैसे जुट जाता है
मगर घर का जुगाड़ सबके बस में नहीं होता ।
काश ! इसी प्रकार अन्य समृद्ध लोग भी
आगे आते जाएं तो हमारे देश की एक
बहुत बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो जाए ।

ओमप्रकाश बजाज
पोस्ट बाक्स 595, जी॰पी॰ओ॰, इंदौर (म॰प्र॰)

हज़रत अनस (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया– ''तुममें से प्रत्येक को चाहिए कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए अपने रब (पालनकर्ता, स्वामी) से ही सवाल करे, यहां तक कि यदि उसके जूते का तसमा (चमड़े का फ़ीता) टूट जाए तो वह भी उसी से मांगे ।''

(तिरमिज़ी)

A Well Wisher

NAGPUR

''कभी तुमने उस व्यक्ति की हालत पर विचार किया है जिसने अपने मन की इच्छा को अपना पूज्य बना लिया हो ? क्या तुम ऐसे व्यक्ति को सीधे मार्ग पर लाने का ज़िम्मा ले सकते हो ? क्या तुम समझते हो कि उनमें से ज़्यादातर लोग सुनते और समझते हैं ? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गये गुज़रे ।''

(क़ुरआन, 25:43)

A Well Wisher

NAGPUR

भारत में उच्च शिक्षा : मुद्दे, चुनौतियां एवं नवीन प्रवृत्तियां

■ अज़ीम ख़ान

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी हैं । विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता व अनुपस्थिति की दर बढ़ रही है । इन संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्यात्मक वृद्धि तेज़ी से हुई और गुणवत्तामय शिक्षा में कमी आयी है । स्नातक, परास्नातक और शोधकार्यों में विद्यार्थी सीखने की ओर ध्यान कम तथा डिग्री के लिए दौड़ रहे हैं । अव्यय-अवरोधन के कारण अच्छे छात्रों का उच्च शिक्षा तक न पहुंचने का मुद्दा बना हुआ है । दलगत राजनीति व कॉलेज संबद्धता में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ है । विश्व की टॉप 200 यूनीवर्सिटी की सूची में भारत की एक भी न होना चुनौती बनी हुई है ।

पुख़्ता समाधान हेतु शिक्षक, समाज और सरकार दीर्घकालीन प्रयासरत हों, शिक्षकों को आत्म मूल्यांकन की आवश्यकता है । उन्हें नयी शिक्षण पद्धतियों, सूचना तकनीकी, शिक्षाशास्त्र से सुसज्जित होने की भी ज़रूरत है । शिक्षा को दलगत राजनीति से बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग की भांति स्वायत्त शिक्षा आयोग बनाने की आवश्यकता है ।

संपूर्ण ब्रह्माण्ड में एकमात्र पृथ्वी पर जीव-जगत की पुष्टि हुई है । संसार रूपी जगत में मनुष्य ही केवल शैक्षिक आदि जैसे कार्यक्रमों का नायक है । शिक्षा किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का आधार है । प्राचीन भारत में, उच्च शिक्षा का विकास वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली द्वारा हुआ । उस समय शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केन्द्र गुरुकुल व ऋषियों के आश्रम थे । वैदिक शिक्षा के बाद बौद्ध शिक्षा का विकास हुआ । बौद्धकालीन शिक्षा ने उच्च शिक्षा का शुभारंभ किया । इस युग में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशीला आदि उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई । उस युग में यह उच्च शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे ।

मध्ययुगीन भारत में, उच्च शिक्षा के संस्थान मदरसे



थे । उस समय दिल्ली, मुर्शिदाबाद, लखनऊ और आगरा के मदरसे उच्च शिक्षा के लिए विश्व स्तर के हुआ करते थे । कलकत्ता मदरसा बनने के बाद 1854 में वुड के घोषणा पत्र से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, जो कि 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गयी ।

स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु राधाकृष्णन आयोग/विश्वविद्यालय आयोग (1948-49) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में एक अधिनियम को पारित करके किया गया था । इसका मुख्य कार्य देश में उच्च शिक्षा की दशा व दिशा का निर्धारण करना है । वह विभिन्न विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने के साथ समय-समय पर उनके प्रबंधन व आर्थिक आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यक निर्देश व सहायता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त उसका एक मुख्य कार्य देश की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुशल मानव संसाधन तैयार करना है । सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सुधार हेतु गठित कोठारी/शिक्षा आयोग (1964-66) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किये गये ।

शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा को विशेष रूप से महत्व

दिया जाता है, क्योंकि उच्च शिक्षा के द्वारा ही देश के लिए वैज्ञानिक, नेता, दार्शनिक तथा साहित्यकार तैयार होते हैं । आज हमारे देश में 13 नियामक संस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों का नियमन करती हैं । इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद आदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन नियंत्रित की जाती हैं ।

भारत में उच्च शिक्षा का विकास एवं विस्तार पिछले दो दशकों में बहुत तेज़ी से हुआ है । विश्व स्तर पर चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं । देश के 687 विश्वविद्यालयों में 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 322 राज्य विश्वविद्यालय, 128 डीम्ड (स्तर प्रदान) विश्वविद्यालय तथा 192 निजी विश्वविद्यालय हैं और 38000 महाविद्यालय में इस समय लगभग 2.8 करोड़ विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

विश्व में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले कुल 12 करोड़ विद्यार्थी हैं अर्थात उनका लगभग एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत में है । वर्ष 2011 में कांग्रेस गठबंधन सरकार में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में उच्च शिक्षा में सुधार के नाम पर जो छह बिल प्रस्तुत किये थे, उनमें उच्च शिक्षा व अनुसंधान बिल 2011 एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए बनाया गया था किन्तु सर्वानुमति न बनने के कारण इनमें से कोई भी बिल पास नहीं हो पाया । वर्तमान भाजपा सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार हेतु क़दम उठाने को कहा, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नयी शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार पर बल दिया है ।

वर्तमान उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियां

1. उद्देश्यहीनता एक सर्वप्रमुख तथ्य है । देश का माहौल बदल गया है, किंतु परतंत्र भारत में शासकों ने अपने हित व लाभ के लिए जो व्यवस्था क़ायम की थी, वह आज भी कुछ तोड़-मरोड़कर, लगभग जस की तस स्थिति में बनी हुई है । उस समय 'गन्नार मिरडल' ने बताया था कि, ''उच्च शिक्षा की उपाधियां, सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थीं । शिक्षा विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी के सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी ।'' इस संदर्भ में ''हुमायूं कबीर'' ने कहा कि ''बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है ।'' अतः आज जो चुनौतियां भारतीय उच्च शिक्षा में दिख रही हैं, उनके बीज 60 और 70 के दशकों में बोए गये थे ।

2. छात्र अनुशासनहीनता की समस्या आज विकराल रूप ले चुकी है, जिसका उच्च शिक्षा पर काफ़ी बुरा प्रभाव दिख रह है । कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो॰ एन॰के॰ सिद्धांत ने अध्ययन के आधार पर सात प्रकार के अनुशासनहीन कार्यों का उल्लेख किया है–उच्छृंखल व्यवहार, सामान्य दुर्व्यवहार, यौन संबंधी दुर्व्यवहार, परीक्षा से संबंधित दुर्व्यवहार, स्वाधिकारों का दुरुपयोग, धन संबंधी अनियमितता और चोरी व सेंधमारी ।

इसके अतिरिक्त छात्र अनुशासनहीनता के बारे में देखा जाए, तो अकारण हड़तालें, अनावश्यक प्रदर्शन, पुलिस झगड़ा, बल का अनुचित प्रयोग, छोटी-छोटी बातों के लिए अनशन, कक्षाओं से बहिर्गमन, परीक्षाओं का बहिष्कार, शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट, कॉलेजों के भवनों एवं रजिस्ट्रारों के कार्यालय का अग्निहोम, परीक्षा में अनुचित साधनों का खुलेआम प्रयोग, लड़कियों का अपहरण और उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आदि ।

भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ''उच्च शिक्षा के केन्द्रों में अनुशासन बनाए रखने की समस्या प्रतिदिन अधिक गंभीर होती जा रही है । आज देश के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में अगर जाएं तो युवा विद्यार्थियों का अक्सर हुजूम दिखायी देता है । आमतौर पर इसका कारण कक्षाओं का न लगना होता है । लेकिन इस भीड़-भाड़ का एक मुख्य कारण युवा आबादी में हो रही बेतहाशा वृद्धि के साथ-साथ उच्च शिक्षा का समुचित विस्तार न होना भी है । कल्पना कीजिए कि वर्ष 2025 तक उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जब बढ़कर और अधिक हो जाएगी तक कैसा परिदृश्य होगा । विद्यार्थियों की विशाल संख्या का अगले दशकों में तेज़ी से बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि अभी सकल नामांकन अनुपात (GER) सिर्फ़ 22.5 प्रतिशत है जिसके वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक होने की संभावना है ।

3. प्रवेश की समस्या, निर्देशन एवं विचार-विमर्श का

अभाव तथा शिक्षकों की भारी कमी के कारण उच्च शिक्षा में प्रशासकों के लिए प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति समय पर नहीं हो रही है । विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में कम शिक्षक उपलब्ध हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश में लगभग राज्य विश्वविद्यालयों में 40 प्रतिशत तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयोंमें 35 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त हैं । विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पिछले साठ वर्षों में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 गुनी हो गयी है, किंतु शिक्षकों की संख्या में मात्र 40 गुनी वृद्धि ही हुई है ।

4. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति से संबंधित वास्तव में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम भारत में आधुनिक समाज एवं राष्ट्र तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं की आपूर्ति के अनुरूप नहीं है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए लिखा है–"जो पाठ्यक्रम वैदिक काल में उपयोगी था, उसे बीसवीं शताब्दी में बिना परिवर्तित किये प्रयोग नहीं किया जा सकता ।"

निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण दोष है कि इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता कम होती है । नक़ल की संभावना पनपती है, मूल्यांकन दोषपूर्ण होता है, विद्यार्थियों में रटने की भावना विकसित होती है । राधाकृष्णन आयोग ने इस संदर्भ में स्पष्ट किया था कि "यदि हमसे विश्वविद्यालय शिक्षा में केवल एक बात के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाए, तो यह सुझाव परीक्षाओं के संबंध में होगा ।"

5. वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यापक शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग गठित किया था । आयोग की प्रकाशित रिपोर्ट में अहम रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि शिक्षक शिक्षा के स्तर में तेज़ी से गिरावट आयी है । दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल, जो शिक्षण से जुड़े मुक़दमे देखते हैं, इस बात से सहमत हैं कि इस पेशे की गुणवत्ता में कमी आयी है ।

वह कहते हैं–"मैं एक ऐसी शिक्षिका को जानता हूं, जिसने एक गांव के कॉलेज से डिग्री ली, जबकि वह उस कॉलेज में कभी गयी ही नहीं ।" अध्यापक शिक्षा में कहने के लिए तो अत्यधिक सुधार की बात हो रही है, परन्तु



समस्यागत शोधकार्यों की अपेक्षा मात्र खानापूर्ति हो रही है, संसाधनों आदि की कमी के कारण ज़मीनी स्तर पर सुधार न होना भी एक चुनौती बना हुआ है । अत: आज की परिस्थितियों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उच्च शिक्षा के शिक्षक प्रमोशन की भागदौड़ के चक्कर में दलगत राजनीति से ग्रस्त रहते हैं । इसलिए शैक्षिक स्तर में गिरावट आना स्वाभाविक भी है ।

6. वित्तीय अथवा आर्थिक संसाधनों की कमी से आज विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आवश्यक समुचित कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल आदि की सुविधाएं पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता की नहीं है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति कुछ ठीक-ठाक है, परंतु राज्य विश्वविद्यालयों में व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकारें पूरा करती हैं । शेष व्यय शुल्क, प्रतिभूतियों एवं अन्य स्रोतों से पूरा किया जाता है, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता है । इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से तथा शासकीय निरीक्षण के अभाव में मात्र औपचारिकता से वित्तीय संकट खड़ा रहता है।

7. उच्चतर शिक्षा में हो रहे अनुसंधान कार्य ही अपने आप में एक चुनौती बने हुए हैं जिनकी दशा व दिशा अत्यधिक दयनीय है । इसमें अधिकांश शोधार्थी व पर्यवेक्षक मात्र औपचारिकता से काम चलाकर कुछ भी नयापन नहीं खोज पा रहे हैं । वही घिसे-पिटे शोधग्रंथ (थीसिस) इधर-उधर का मिलाकर लिखे जा रहे हैं । सर्वाधिक अनुपयोगी कार्य के रूप में X तथा Y का तुलनात्मक अध्ययन या महान

विचारकों के विचारों का अध्ययन या देश के धर्मों का शिक्षा में निहितार्थ एक अध्ययन आदि ।

हम विश्व में हुए शोधों को शिक्षा में अपने यहां अपनाने का दम भरते हैं, परंतु वहां जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते हैं । इसलिए विश्व के विकसित देशों की तुलना में हमारे देश के अनुसंधान में मौलिकता का अभाव रहता है । अधिकांश विश्वविद्यालयों का वातावरण शोधकार्यों के अनुकूल ही नहीं है । शोधार्थी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं मिलते हैं तथा बहुत से मार्गदर्शक, पर्यवेक्षक भी शोधार्थी को पूरा सहयोग नहीं प्रदान करते हैं । यहां तक कि कुछ मार्गदर्शक व पर्यवेक्षक तो ऐसे हैं जो शोधार्थी को सहयोग या निर्देशन प्रदान करने के स्थान पर उलटे उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका शोषण भी करते हैं । ऐसा अधिकांश समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है और अधिकांश शोधार्थी नाम न बताने की शर्त पर इसको स्वीकार भी करते हैं । इन्हीं कारणों से जो भी शोधकार्य हो रहे हैं, वे वर्तमान में आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं को पूरा करने में पूर्णतया असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं ।

8. शिक्षा मात्र का नियमित न होना, परीक्षाफल का समय पर घोषित न होना, स्ववित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में मानकों का अभाव, दोहरा मानदंड तथा छात्रों एवं शिक्षकों का असंतोष और सरकार द्वारा समय-समय पर संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा को महत्व न देना, महाविद्यालय के संबद्धीकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार का होना, शिक्षण संस्थाओं में सत्ताधारी नेताओं के द्वारा हस्तक्षेप करना आदि चुनौतियां बनी हुई हैं ।

9. अव्यय अवरोधन के कारण विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरकार के धन व समय बरबाद के साथ ही अच्छी प्रतिभाओं का उच्च शिक्षा तक न पहुंचने का मुद्दा बना हुआ है । एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, ''कुल सात बच्चों में से केवल एक विद्यार्थी उच्च शिक्षा तक पहुंचता है, शेष विभिन्न कारणों से बीच से ही शिक्षा छोड़ देते हैं ।'' यह भयावह स्थिति आख़िर क्यों है, यह भी एक प्रश्नचिन्ह है ।

10. देश में स्थापित, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सुविधाओं में असमानता के कारण व विदेशी तर्ज पर न होना, देश के भीतर और विदेशों में पलायन का मुद्दा बना हुआ है ।

11. आरक्षण नीति के चलते योग्य एवं मेधावी प्रतिभाओं को मौक़ा न मिलना भी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है ।

12. वर्ष 2014 में दो अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अध्ययन कर सूची जारी की जिसमें दुनिया के 200 शीर्ष शिक्षण संस्थाओं में से हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है । हालांकि भारत सरकार ने इन एजेंसियों के आकलन को ख़ारिज करते हुए अपनी ख़ुद की राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी तैयार करने के लिए समिति गठित कर दी है । लेकिन यह सबके लिए देश की उच्च शिक्षण मशीनरी, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकार के लिए एक चुनौती है ।

समाधान

अतीत की घटनाओं का सबक़ बन चुका इतिहास जो आज का वर्तमान कल के भविष्य को नया उजाला दे सकता है, यदि ज़िम्मेदार लोग मन से अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो जाए ।

● आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के प्रसार, विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान एवं व्यवसायपरक शिक्षा आदि पर बल दिया जाना चाहिए ।

● उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, नियुक्ति, पाठ्यक्रम परिवर्तन, नीतियों आदि को सही दिशा दी जाए, भेदभाव व असमानताओं को दरकिनार किया जाए, सत्र नियमित रखे जाएं तथा उच्च प्राप्तांकों वाले विद्यार्थी को ही प्रवेश देने की नीति को अपनाया जाना चाहिए ।

● शिक्षा अनुशासन ग़ैर प्राप्त नहीं हो सकती । इसके लिए शिक्षक, प्रशासन, प्रबंधन, अभिभावक और विद्यार्थी को एक साथ मिलकर सहयोग प्रदान करना चाहिए । सन 1969 में भारत के कुलपतियों का सम्मेलन हुआ, इसमें कहा गया कि समय-समय पर राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण संविधान व नागरिकता का परिचय दिया जाना चाहिए । यह परिचय उनमें देश के प्रति निष्ठा उत्पन्न करेगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुशासनप्रियता बढ़ेगी ।

● पाठ्यक्रम सरल, उपयोगी, व्यावहारिक, प्रायोगिक, व्यावसायिक तथा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सहायक होना चाहिए ।

● परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय एवं वैध बनाने हेतु तथा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जाना चाहिए ।

● सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को जो भी अनुदान उपलब्ध कराया जाए, उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित कराया जाए और ज़रूरत के अनुसार बिना किसी प्रकार के भेदभाव के धन के आवंटन एवं वितरण में समानता स्पष्ट की जाए ।

● डॉ॰ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के पक्षधर थे । परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आंशिक स्वायत्तता देने के पक्ष में है ।

● डॉ॰ सी॰डी॰ देशमुख के शब्दों में, ''अनियंत्रित स्वायत्तता प्राय: अव्यवस्था तथा दूषित प्रशासन को जन्म देती है । केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने पास यह अधिकार रखें कि विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान का उचित प्रयोग हो सके ।

● रस्तोगी समिति ने कहा कि उच्च शिक्षा समस्त व्यवसायों की जननी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी स्वीकार्य किया ।

● सरकार में सम्मिलित एवं विभिन्न दलों के नेता, विशेषत: सत्ताधारी नेता व मंत्री दलगत राजनीति से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी भारतवर्ष की अन्य संस्थाओं को निष्पक्ष तरीक़े से कार्य नहीं करने देते हैं । इसलिए लोकतांत्रिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाएं उच्च स्तर पर स्वायत्तशासी हों । उनके कार्यों में राजनीतिक दख़लंदाज़ी नहीं होनी चाहिए ।

● अत: सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय सेना आदि जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के समान भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाए ।

● उच्च शिक्षा की सफलता हेतु चुनाव आचार संहिता की भांति शिक्षा आचार संहिता अधिनियम पारित कर आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की जाएं ।

अत: भारत देश को सक्षम, विकसित देश और विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है । इसके लिए एक उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाए जो पूर्णत: स्वतंत्र हो तथा लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर सके । सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अनुदान उपलब्ध कराया जाए तथा इस धन का दुरुपयोग होन से बचाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा निगरानी आयोग का गठन किया जाए ।

संदर्भ

- Amar Ujala; (2014). "Shikshako ki kami se uch shiksha bepatri", 7 Dec. 2014, p. 9
- Arya, M.L.; (2014). Educational Administration and Management, R. Lal Book Depot, Meerut.
- Behar, A.; (04 Oct. 2014). C.E.O., Ajim Premji Foundation, Shikshako ki kami se jujhte aankre, News : Hindustan Paper, p.10
- Bhattacharya, G.C.; (2012). Teacher Education, Agarwal Publications, Agra
- Chaturvedi, H.; (06 Aug. 2014). Director Bimtech, Uch Shiksha ke Nai Niyamak ki khoj, News : Hindustan Paper, p. 10
- Jeet. B. Y.; (2014). Innovations and Modern trends in education, Agarwal Publications, Agra.
- Kohli, N.; (02 Oct. 2014). Shikshako ki kami ki partaal, News : Hindustan Paper, p. 17
- Kudeshiya, U.C.; (2014). Educational Administration, Agarwal Publications, Agra
- Mishra, R. N.; (2008). Problems and Practicle in education, Vinod Pustak Mandir, Agra
- Sharma, R. A.; (2009). Essentials of Educational technology and management, R. Lal Book Depot. Meerut
- Sharma, R. A.; (2010). Role of teacher in Developing Bhartiya Society of Education, R. Lal Book Depot, Meerut
- Singh, J. D.; (2007). Higher Education in India Issues, Challenges and Suggestions, Rajasthan, India
- Singh, Y.K.; (2009). Comparative education, University Publications, New Delhi
- Srivastava, S.S.; (2011). Bhartiya Shiksha Shodh Patrika, Biannual journal, July-Dec., 2011
- Srivastava, S.S.; (2011). Bhartiya Shiksha Shodh Patrika, Biannual journal, Jan-June, 2011
- Srivastava, S.S.; (2010). Bhartiya Shiksha Shodh Patrika, Biannual journal, Jan-June, 2010
- Yadav, S. & Sexena S.; (2013). 'Comparative Education', Sahitya Prakashan, Agra
- Yadav, S.; (2013). Distance Education, Agarwal Publications, Agra

आने वाली पीढ़ी पर पड़ता प्रदूषण का प्रभाव

प्रदूषण का ज़हर दिन-प्रतिदिन संपूर्ण मानव समाज को अपने शिकंजे में कसता जा रहा है । लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रदूषण का प्रभाव न केवल आपके स्वास्थ्य पर, बल्कि आपकी अगली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है ? जी हां, यह सच है कि प्रदूषण का प्रभाव अनुवांशिक ढांचे पर भी पड़ता है । राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के एक युवा वैज्ञानिक डॉ॰ अश्विनी शर्मा ने अपनी शोध में यह पाया है कि प्रदूषण का अनुवांशिक ढांचे पर भी कुप्रभाव पड़ता है ।

एक बातचीत में डॉ॰ शर्मा ने बताया, 'प्रदूषित भोजन व चाराख़ाने से पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है । पशुओं के शरीर से होते हुए यह हानिकारक प्रदूषित पदार्थ दूध, अंडे व मांस के रूप में मनुष्य के आहार में सम्मिलित हो जाते हैं और कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न करते हैं । वर्णजनित अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि यह हानिकारक एवं प्रदूषित पदार्थ जीनों के अनुवांशिक ढांचे पर भी कुप्रभाव डालते हैं ।' डॉ॰ शर्मा द्वारा किये गये इस अनुसंधान के कारण हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय जूनियर चैम्बर्स द्वारा मान्यता प्राप्त इंडियन जूनियर चैम्बर ने उनको 'आउटस्टैंडिंग यंग इंडियन अवार्ड 1995' से सम्मानित किया है ।

डॉ॰ अश्विनी शर्मा पशु प्रजनन विभाग में एक विशिष्ट वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं । सन 1988-89 में उनको पशु विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए 'रफ़ी अहमद क़िदवई पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था । उन्हें यह राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किया गया था । सन 1992 में 'इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन' ने डॉ॰ शर्मा को विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'प्राण वोहरा पुरस्कार' से सम्मानित किया था । 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन्हें 'राष्ट्रीय इन्सेंटिव अवार्ड' प्रदान किया था ।

डॉ॰ शर्मा ने बताया कि इस अनुसंधान से कम से कम दो फ़ायदे हो सकते हैं, 'प्रथम, यह है कि अब आम नागरिक में प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा होगी, क्योंकि प्रदूषण ने

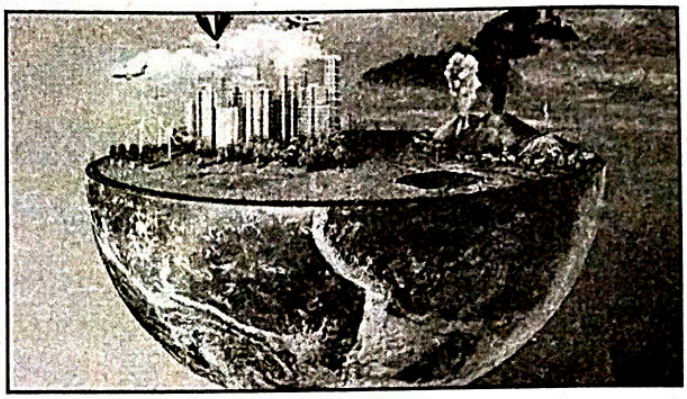

मानव की आगामी पीढ़ी के समक्ष एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया है । दूसरा फ़ायदा पशु विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है । इस अनुसंधान के द्वारा जन्मजात तथा पुनरुपादित असामान्यताओं का पता लगाकर उत्तम क़िस्म के सांडों के चयन में सहायता प्राप्त होगी ।

सच्ची मानवता

जहां फैले नफ़रत वहां
प्रेम की गंगा बहाना तुम,
दीन-दुखी पीड़ित प्राणी की
सेवा का लाभ उठाना तुम ।

भेदभाव की बातें छोड़ो
सबको ही गले लगाना तुम,
पाप-कपट से मुखड़ा फेरो
पुण्य का लाभ उठाना तुम ।

हम सब आपस में भाई हैं
नहीं किसी को ठुकराना तुम,
सच्ची मानवता की ख़ातिर
अपना भी फ़र्ज़ निभाना तुम ।

महेन्द्र सिंह शेखावत 'उत्साही'
उत्साही प्रकाशन, 76-ए, कैलाश नगर,
गली नं॰ 16, झोटवाड़ा, जयपुर-302012

इतनी बड़ी छिपकली ?

तुमने घरों की दीवारों पर रेंगती हुई छिपकलियां ज़रूर देखी होंगी और सपेरे के पास सांच देखकर तुमको डर भी लगा होगा । छिपकली, डायनासोर, सांप ये सभी सरीसृप वर्ग के जन्तु होते हैं, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि पृथ्वी पर इनका अस्तित्व मानव से बहुत पहले का है ।

सरीसृप जन्तुओं का वह वर्ग है जिसके सदस्यों का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बंटा होता है । इस वर्ग के जन्तुओं में हमारी-तुम्हारी तरह गर्दन नहीं होती है । हमारी त्वचा के मुक़ाबले सरीसृपों (रेप्टाइल्स) की त्वचा कठोर और शल्क युक्त होती है । इनके शिशु अंडों से निकलते हैं ।



इस समूह के प्राणियों की त्वचा छोटे-छोटे खुरदरे शल्कों से बनी होती है जो एक-दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं । इस वर्ग के कुछ जंतुओं के पैर तथा बाहरी कान नहीं होते हैं जैसे–सांप । इसी वर्ग के सदस्य छिपकली के पैरों में निर्वात गद्दियां होती हैं जो दीवार पर चढ़ने में मदद करती हैं । प्राचीन चीनी दंतकथाओं में वर्णित आग उगलने वाले ड्रैगन की कल्पना भी सरीसृपों पर आधारित है । ड्रैगनों का अस्तित्व आज भी है । विश्व की यह सबसे बड़ी विलुप्त हो चुकी छिपकली का वैज्ञानिक नाम–वैरेनस कोमोडोसिस है ।

यह सन 1926 में जावा के कोमोडो द्वीप में पायी गयी । इसकी खोज डब्ल्यू॰ डगलस बर्डन ने की थी और आज जावा तथा आसपास यह बहुतायत में है । 300 पाउंड वज़न और किसी बड़ी कार से भी ज़्यादा आकार वाली कोमोडो ड्रैगन ख़तरनाक छिपकली है । एक बार में अपने वज़न के 80 प्रतिशत भारत के बराबर खाने वाली कोमोडो ड्रैगन आदमी को भी चबा जाती है, जावा के सुनसान द्वीपों में सिमटे रहने के कारण ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं ।

छिपकलियों का रोचक जीवन

संकट में पड़ने पर छिपकली अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर सकती है । शरीर से अलग हुई पूंछ थोड़ी देर तंक फुदकती रहती है और इस बीच परभक्षी का ध्यान बंटते ही छिपकली वहां से नौ-दो ग्यारह हो जाती है । कटी हुई पूंछ के स्थान पर दो-तीन सप्ताह में नयी पूंछ उग आती है । एक मज़ेदार बात और, छिपकली के सिर में कान की जगह दो छेद होते हैं । छिपकली के कान के पर्दे इन्हीं खुले छेदों के अन्दर स्थित होते हैं । सांप में कानों जैसी कोई संरचना नहीं होती, यह अपनी रीढ़ की हड्डी से संकेत ग्रहण कर उन्हें सिर में छुपे कान के पर्दों तक ले जाता है ।

एक नज़र पेट्रोनास ट्विन टावर पर

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनास ट्विन टावर की कुल ऊंचाई ज़मीन की सतह से 452 मीटर है ।

मलयेशियाई पेट्रोलियम कंपनी की यह इमारत 1996 में

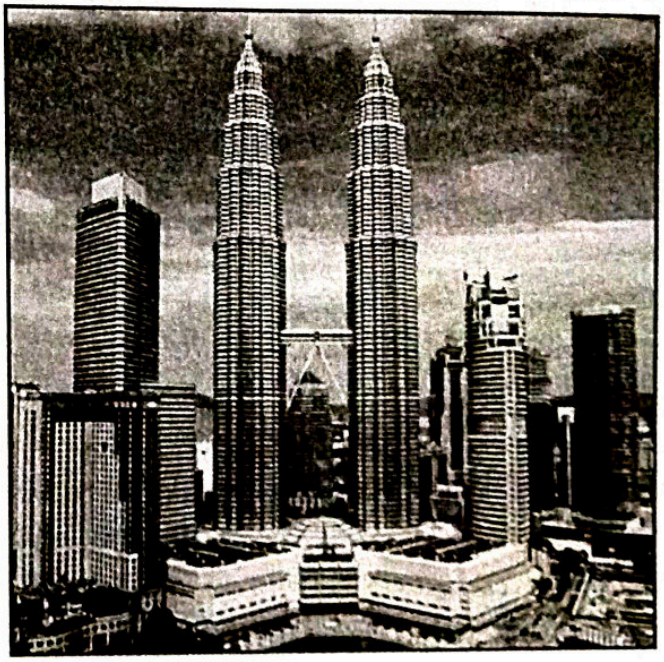

बनकर तैयार हुई और इसमें 1997 में लोगों ने कामकाज आरंभ किया जिसमें ज़्यादातर कार्यालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हैं । 88 मंज़िली कार्यालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हैं । 88 मंज़िली यह इमारत कुल 3.41,760 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी है । इमारत में कुल 76 लिफ्ट हैं । इनमें एक बार में 23 से 26 आदमी आ जा सकते हैं । ये लिफ्टें लगभग 65 सेकेंड में नीचे से ऊपर पहुंचाती हैं । इसके साथ ही इसमें 10 चलित सीढ़ियां भी हैं । इमारत के निर्माण में दोनों टावरों को एक आसमानी पुल से जोड़ा गया है जो 170 मीटर की ऊंचाई पर है । यह पुल 41वें और 42वें मंज़िल के बीच है । पुल की लंबाई 58.4 मीटर है । पेट्रोनास ट्विर टावर कुआलालंपुर में स्थित है । यह नगर मलेशिया की राजधानी है । टावर की ऊंचाई 452 मीटर है और इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है ।

क़िस्म-क़िस्म की दुर्लभ पुस्तकें

● गुटेनबर्ग बाइबल संसार में सर्वाधिक मूल्य वाली पुस्तक है । 24 लाख डॉलर की यह पुस्तक पूर्वी जर्मनी में प्रकाशित हुई थी ।

● 'द स्टोरी ऑफ़ साउथ' विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक है । 25 टन वज़नी यह पुस्तक 10 इंच ऊंची है तथा 12 हार्स पावर के इंजन द्वारा इसके पृष्ठ पलटे जाते हैं ।

● 'वैली ऑफ़ द डाल्स' विश्व का सर्वाधिक बिक्री वाला उपन्यास है । उपन्यास लेखिका : जैक्सिन सूसन ।

● कुरआन शरीफ़ की एक प्रति ऐसी है जिसकी जिल्द की क़ीमत 30 हज़ार पौंड है । इसमें 408 रत्न जड़े तथा 167 हीरे भी लगे हैं । संसार की यह सबसे मूल्यवान प्रति फ़ारस के शाह ने अफ़ग़ानिस्तान के अमीर को भेंटस्वरूप प्रदान की थी ।

● 'कुथोदाओ' पाली भाषा में लिखी गयी बर्मा की एक धार्मिक पुस्तक है । बर्मा के महान धार्मिक संत यू खात्री के जीवन पर आधारित यह पुस्तक संगमरमर की पट्टियों (सिल्लियों) पर लिखी गयी है । यह विश्व की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे वज़नदार पुस्तक है । इसका वज़न 728 टन है तथा इसकी कुल पृष्ठ संख्या भी इतनी ही है ।

● 'हाकूनिन हरुश' संसार की सबसे नन्हीं पुस्तक है जो जापान से प्रकाशित है । पुस्तक के बन्द करने पर उसका आकार दियासलाई की कांड़ी के मसाले के बराबर हो जाता है ।

● बच्चों की सबसे पहली पुस्तक (पत्रिका 'लिलिपुतियान बुक' इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी । पाकेट डायरी के आकार की यह पुस्तक अमेरिकी बच्चों में भी बेहद लोकप्रिय है ।

● 'सुपर बुक' संसार की सबसे वज़नी पुस्तक है । 300 पृष्ठों तथा 9 गुणे 10 फुट के आकार वाली इस किताब का भार 2526 किलोग्राम है ।

प्रस्तुति : **विद्या प्रकाश**

कहां होती है अक़्ल ?

इस बात को लेकर विवाद चलता ही रहता है कि दिमाग़ का वह कौन-सा भाग है जिसमें बुद्धि का वास होता है या फिर इस बात को लेकर विवाद होता है कि बुद्धि है क्या ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि दिमाग़ के कुछ विशेष हिस्से ही सामने बुद्धि का निर्देशन करते हैं ।

ब्रिटेन के कैंब्रिज में 'मेडिकल रिसर्च काउंसिल कोग्निशन तथा ब्रेन साइंसेज़ यूनिट' के डॉ॰ जॉन डनकैन तथा उनके सहयोगियों ने कुछ लोगों को अध्ययन के लिए चुना । इन लोगों को सामान्य कार्य तथा बाद में कुछ बौद्धिक कार्य दिया गया । इनकी मस्तिष्कीय गतिविधियों को मापने के लिए ब्रेन इमेजिंग उपकरणों का प्रयोग किया गया । इस अध्ययन में जब लोग बौद्धिक या कहिए जटिल कार्यों को अंजाम दे रहे थे, तब उनके मस्तिष्क के कुछ विशेष हिस्सों, विशेषकर एक हिस्से लेटेरल प्रबंटल कोरटेक्स में गतिविधि बढ़ गयी थी । इससे शोधकर्ताओं ने बताया कि विशेष मस्तिष्क हिस्सों से ही बुद्धि जन्म लेती है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

इस्लाम आपसे क्या चाहता है ?

इस्लाम में पति पत्नी के अधिकार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	55.00
इस्लाम में मानव-अधिकार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम की शीतल छाया	मौलाना सय्यद हामिद अली	12.00
इस्लाम के चारों ओर	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	14.00
इस्लाम क्या है?	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	08.00
इस्लाम जिससे मुझे प्यार है	अब्दुल्लाह अडियार	55.00
इस्लाम-दर्शन	डॉ० गणेशदत्त सारस्वत, पी०एच०डी०	45.00
इस्लाम धर्म	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	60.00
इस्लाम भविष्य की आशा	सय्यद कुत्ब	24.00
इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ	प्रो० उमर हयात खाँ ग़ैरी	72.00
इस्लाम में उदारता	मतीन तारिक़ बाग़पती	40.00
इस्लामी ज़िन्दगी	नसरुल्लाह ख़ां अज़ीज़	60.00
इस्लामी तालीमात	मौलाना सुलैमान क़ासमी	35.00
इस्लामी शरीअत	माइल ख़ैराबादी	90.00
इस्लाम-दर्शन	डॉ० गणेशदत्त सारस्वत, पी०एच०डी०	45.00
इस्लाम धर्म	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	60.00
इस्लाम भविष्य की आशा	सय्यद .कुत्ब	24.00
इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ	प्रो० उमर हयात खाँ ग़ैरी	72.00
इस्लाम में उदारता	मतीन तारिक़ बाग़पती	40.00
इस्लाम में पति पत्नी के अधिकार	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	55.00
इस्लाम में मानव-अधिकार	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम संदेहों के घेरे में	मुहम्मद .कुत्ब	130.00
इस्लामी अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त और उद्देश्य	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	09.00
इस्लामी जिहाद की वास्तविकता	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
इस्लामी ज़िन्दगी	नसरुल्लाह ख़ां अज़ीज़	60.00
इस्लामी तालीमात	मौलाना सुलैमान क़ासमी	35.00
इस्लामी शरीअत	माइल ख़ैराबादी	90.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS
NEW DELHI
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز

MMI PUBLISHERS

• D-307,Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave
Jamia Nagar New Delhi-110025
• Phone:26981652,26984347 Mob: 7290092401
• E-mail:info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com
• Website:www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 July 2018
August 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.07.2018
Total pages 52 with Cover

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

Yusuf Akbani
+91-9823256756
yusuf@primetimbers.in

PRIME
TIMBERS
TIMBER IMPORTER,
EXPORTER & MANUFACTURER

यह उपदेश प्रत्येक उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अल्लाह और परलोक पर विश्वास रखता हो और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उस के लिए (संकट से) निकलने का कोई मार्ग उत्पन्न कर देगा (अत- तलाक़ : 2)

224, New Timber Market, Lakadganj, NAGPUR 440008

ph. (O) +91-712-2766587 Fax +91-712-2760287 (M) +91-9370966587